<u>न्यायालय– विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), विशेष न्यायालय सं0–1/अपर सत्र न्यायाधीश, मेरठ।</u>
पीठासीन अधिकारी– (रमेश) उच्चतर न्यायिक सेवा,
(जे0ओ0 कोड–यू0पी0 6157)

UPME010065522022
विशेष फौजदारी वाद संख्या – 501/2022

उत्तर प्रदेश सरकार **............अभियोजन।**

--बनाम--

1– निर्देशपाल पुत्र जयपाल सिंह उम्र 52 वर्ष, निवासी म0सं0 ए–217, यमुनापुरम, थाना कोतवाली देहात, जिला बुलन्दशहर।
2– भूपेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 वासुदेव सिंह उम्र 46 वर्ष, निवासी म0सं0 231, जसनावली कला, सराय छवीला, थाना कोतवाली देहात, जिला बुलन्दशहर।
3– सुरेन्द्र शर्मा पुत्र भजनलाल शर्मा उम्र 62 वर्ष, निवासी म0सं0 185/2, सूर्यनगर, थाना कोतवाली नगर, जिला बुलन्दशहर।

.... अभियुक्तगण

मु०अ०सं० 1455 सन् 2021
धारा-7, 13(1)(ख) सपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम।
थाना-कोतवाली शहर, जिला बुलन्दशहर।

विद्वान विशेष सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता- सुश्री शुचि शर्मा एवं श्री सत्येन्द्र कुमार।
अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता- श्री इन्द्रजीत सिंह।

<u>निर्णय</u>

01. प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण निर्देशपाल पुत्र जयपाल सिंह, भूपेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 वासुदेव सिंह एवं सुरेन्द्र शर्मा पुत्र भजनलाल शर्मा का विचारण इस न्यायालय द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 एवं 13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रेषित होने के उपरान्त किया गया।

02. संक्षेप में अभियोजन कथानक तहरीर प्रदर्श क-1 के अनुसार इस प्रकार है कि वादी मुकदमा सतेन्द्र सिंह सेवानिवृत्त IFW ग्राम मऊ नगला थाना नरौरा जिला बुलंदशहर के द्वारा थाना अध्यक्ष कोतवाली नगर बुलंदशहर को संबोधित एक प्रार्थना पत्र प्रदर्श क-1 इस आशय का प्रस्तुत किया कि वह नगरीय मलेरिया इकाई में IFW के चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यरत था। उसकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31.07.2021 को होनी थी। सेवानिवृत्ति से एक माह पूर्व आवश्यक दस्तावेज कार्यालय में जमा कर दिये थे, ताकि समय पर उसे भुगतान मिल सके। कार्यालय के संबंधित बाबूजी से उसने कहा कि उसकी सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले सभी भुगतान शीघ्र कराये जाये। जब कार्यालय के लिपिक श्री कुलवंत बाबूजी ने कहा कि श्री सुरेन्द्र शर्मा हमारे कार्यालय में

लिपिक का काम करते है, उनसे जाकर मिले, तो वह सुरेन्द्र शर्मा से सम्पर्क स्थापित किया, तो उनके द्वारा बताया गया कि उनके कार्यालय में बिना पैसे के कोई कार्य नहीं होता। इस संबंध में नगरीय मलेरिया इकाई के प्रभारी डॉ० वी.के. श्रीवास्तव से दिनांक 05.07.2021 को घर जाकर मिला और उन्हें पैसे की अवैध वसूली के संबंध में जानकारी दी तो DMO ने कहा कि कार्यालय में जाकर कुछ धनराशि कम करा देंगे। महोदय आपको यह भी अवगत कराना है कि DMO और बाबू के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से अवैध वसूली करने हेतू एक गैंग तैयार कर रखी है, जिसमें DMO और कार्यालय से संबंधित बाबू सम्मिलित है तथा इसी प्रकार CMO कार्यालय में बडे बाबू श्री निर्देशपाल एवं श्री भूपेन्द्र सिंह चपरासी भी योजनाबद्ध तरीके से गैर वसूली करते है। उपरोक्त गैंग परेशान करके लोगों से अवैध धनराशि देने के लिए मजबूर कर देते है, जिसका विवरण बिंदुवार निम्न प्रकार है-

बिंदु नं० 1- वह दिनांक 05/07/2021 को श्री डा० वीके श्रीवास्तव को अवैध वसूली के बारे में बताया तो उन्होने कहा कि आफिस में आकर मिलो। कुछ अवैध वसूली कम करा देंगे। वीडियो फुटेज-01 श्रीमान जी अभी तक उसके द्वारा D.M.O. साहब के आदेश पर 15,000/-रूपये लिपिक श्री सुरेन्द्र शर्मा को उसके पश्चात 5,000/-रूपये भूपेन्द्र चपरासी को दिये और 14,000/-रुपये श्री निर्देशपाल, वरिष्ठ लिपिक को दिये। साक्ष्य के रूप में वीडियो फुटेज संलग्न है। उक्त के संबंध में महोदय से अनुरोध है कि सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करने का कष्ट करें।

03. उपरोक्त के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना कोतवाली शहर, बुलन्दशहर पर मु०अ०सं० 1455/2021, धारा 7 व 13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचक द्वारा घटनास्थल का नक्शा-नजरी तैयार किया गया तथा गवाहान के बयान अंकित किये गये।

04. बाद विवेचना विवेचक द्वारा सम्पूर्ण साक्ष्य संकलित करने के उपरान्त अभियुक्तगण के विरूद्ध मु०अ०सं० 1455/2021, धारा 7 व 13(1)ख भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम थाना कोतवाली शहर, बुलन्दशहर में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिस पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 05.04.2022 को प्रसंज्ञान लेते हुये विशेष फौजदारी वाद संख्या 501/2022, सरकार बनाम निर्देशपाल आदि के रूप में पंजीकृत किया गया।

05. अभियुक्तगण न्यायालय के समक्ष उपस्थित आये तथा न्यायालय द्वारा दिनांक 12.10.2022 को आरोप तथा दिनांक 10.07.2024 को संशोधित आरोप अभियुक्तगण के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 व 13(1)ख सपठित धारा 13(2) के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण को उक्त आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया एवं विचारण की याचना की। विचारण प्रारम्भ किया गया।

06. अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में पी०डब्लू० 1 वादी

मुकदमा सतेन्द्र सिंह, पी०डब्लू० 2 कांस्टेबल अनुज कुमार, पी०डब्लू० 3 डाक्टर रोहताश कुमार यादव, पी०डब्लू० 4 डाक्टर सुनील कुमार ए०सी०एम०ओ०, पी०डब्लू० 5 टीटू सिंह, पी०डब्लू० 6 कुलवन्त कुमार सिंह, पी०डब्लू० 7 डाक्टर विनय कुमार सी०एम०ओ० बुलन्दशहर को परीक्षित कराया गया। अन्य किसी साक्षी को अभियोजन की ओर से परीक्षित नहीं कराया गया।

07. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन स्वीकृति प्रपत्र कागज सं० 20अ प्रदर्श 8 तथा नक्शा नजरी कागज सं० 9अ/1, 9अ/2, 9अ/3 प्रदर्श क9 ता प्रदर्श क11 तथा आरोप पत्र कागज सं० 3अ/1 ता 04 प्रदर्श क12 तथा पेन ड्राइव कागज सं० 10अ वस्तु प्रदर्श 01 की औपचारिक सत्यता को स्वीकार कर लिया है। तत्पश्चात अभियोजन द्वारा अपने साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया है।

08. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त पर लगाये गये आरोपों को सिद्ध करने के लिये अभिलेखीय साक्ष्य में निम्न प्रपत्र प्रस्तुत किये गयेः-

क्रम सं०	कागज सं०	विषय वस्तु	साक्षी संख्या	प्रदर्श संख्या
1	4अ/3 ता 4	तहरीर	1	क-1
2	8 अ	प्रमाण पत्र अन्तर्गत धारा 65B IT ACT	1	क-2
3	11अ/1 ता 3	FIR पर जांच भ्रष्टाचार एवं अवैध वसूली के संबंध में वादी द्वारा साक्ष्य एवं बयान Add. SP बुलंदशहर के समक्ष प्रस्तुत करने के संबंध में।	1	क-3
4	12अ/1 ता 3	वादी मुकदमा द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी को लिखा गया पत्र इस बाबत कि अवैध वसूली के उपरान्त भी सम्पूर्ण भुगतान न किये जाने के संबंध में	1	क- 4
5	4 अ/1 ता 2	चिक एफ.आई.आर.	2	क-5
6	7 अ	सामान्य दैनिक विवरण (जी.डी.)	2	क-6
7	14अ/1 ता 2	जांच समिति कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी बुलंदशहर को प्रेषित की गयी जांच आख्या	4	क-7
8	19अ/3	मुख्य चिकित्सा अधिकारी बुलंदशहर द्वारा अभियुक्तगण सुरेन्द्र शर्मा, भूपेन्द्र के विरुद्ध 197 द०प्र०सं० अभियोजन चलाये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में	7	क-7A
9	20अ	अभियुक्तगण निर्देशपाल सिंह के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति आदेश अ० धारा 197 द०प्र०सं० के संबंध में स्वीकृत आदेश। अभियुक्तगण द्वारा इस प्रपत्र की औपचारिक सत्यता स्वीकार की गयी है तथा तथ्य से इंकार किया है।		क-8
10	9अ/1	नक्शा नजरी X चिन्ह से जिसमें लिपिक सुरेन्द्र शर्मा के बैठने का तथा वादी से कुल दो बार उत्कोच प्राप्त किये जाने के संबंध में वीडियो में दिखाया जा रहा मानचित्र के संबंध में जिसकी औपचारिक सत्यता अभियुक्तगण के द्वारा स्वकीर किया गया है तथा तथ्य से इंकार किया है।		क-9
11	9अ/2	नक्शा नजरी X चिन्ह से जिसमें वह कार्यालय दर्शाया गया है जहा पर अभियुक्त निर्देशपाल बैठते थे व वादी से पेंशन के पेपर बनाने की बाबत 14,000 रूपये का विडियो दिखने के संबंध में जिसकी औपचारिक सत्यता अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता स्वीकार की गयी है तथा तथ्य से इंकार किया गया है।		क-10
12	9 अ/3	नक्शा नजरी X चिन्ह से नई बिल्डिंग CMO कार्यालय में बंद हुआ कमरा दर्शाया गया है जहां पर अभियुक्त भूपेन्द्र चपरासी बैठता था तथा उसके द्वारा वादी से पेंशन पेपर कराये जाने के बाबत पैसे लेते व गिनते विडियो में दिखायी जाने के संबंध में जिसकी औपचारिक सत्यता स्वीकार की गयी है तथा तथ्य से इंकार किया गया है।		क-11
13	3अ/1	आरोप पत्र जिसकी औपचारिक सत्यता अभियुक्त द्वारा स्वीकार की गयी है		क-12

		तथा तथ्य से इंकार किया गया है		
14	10अ	पैनड्राईव संबंधित लिफाफा जिसके अन्दर दो पैनड्राईव रखा गया है।		वस्तु प्रदर्श 01

09. पी०डब्लू० 1 के रूप में **साक्षी सतेन्द्र सिंह वादी मुकदमा** को सशपथ परीक्षित कराया गया जिसने अभिकथन किया कि वह नगरी मलेरिया इकाई बुलंदशहर में IFW के चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्त था। उसकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31/07/2021 को होनी थी। उसने सेवानिवृत्ति से एक माह पहले ही अपनी पेशंन संबंधी भुगतान के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज अपने कार्यालय में जमा कर दिये थे जिससे उसका समय पर भुगतान हो सके। अपने अभिलेख जमा करने के बाद कार्यालय के संबंधित बाबू कुलवंत सिंह से मिला था तो उन्होने उससे कहा था कि आपका भुगतान समय से हो जायेगा। इसके बाद वह कार्यालय के बाबू सुरेन्द्र से मिला था उन्होने भी समय से भुगतान के लिए कह दिया था। फिर भी वह अपना भुगतान सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 05/07/2021 को अपने जिला मलेरिया अधिकारी श्री वी०के० श्रीवास्वत से मिला था तो उन्होने भी उसका भुगतान समय से कराने का आश्वासन दे दिया था। इस दौरान जिले के जिला विकास अधिकारी उसके गांव में मुआयना करने आये थे। वह अपना भुगतान कराने के लिए उनसे भी अनुरोध किया था तो उन्होंने उसके एक कोरे कागज पर हस्ताक्षर कराकर अपने पास रख लिया था। पत्रावली पर उपलब्ध मूल तहरीर कागज सं० 4अ/3 ता 4 को देखकर साक्षी ने कहा कि इस पर उसके हस्ताक्षर है, शिनाख्त करता है जिसपर **प्रदर्श क-1** डाला गया। इसके बाद उसे CMO साहब ने अपने यहां बुलाया था। वहां पर एक पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। उन्होंने भी उससे कुछ कोरे कागजात पर हस्ताक्षर कराये थे। पत्रावली पर उपलब्ध कागज सं० 8अ तथा 11अ/1 ता 3 व 12अ/1 ता 3 देखकर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त की। उनपर क्रमशः प्रदर्श क-02, प्रदर्श क-03 एवं प्रदर्श क-04 डाला गया। **उससे हाजिर अदालत अभियुक्तगण सुरेन्द्र, निर्देशपाल एवं भूपेन्द्र द्वारा कभी भी उसकी पेंशन संबंधित भुगतान के लिए किसी रिश्वत के पैसे की मांग नहीं की गई थी, न ही उसने सुरेन्द्र शर्मा को 15,000/- रूपये, भूपेन्द्र को 5,000/- रूपये व निर्देशपाल को 14,000/- रू रिश्वत में दिये थे। उसने कोई वीडियो फुटेज भी किसी पुलिस अधिकारी को नहीं दी थी। उसने अभियुक्तगण के विरुद्ध कभी कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया था।** इस स्तर पर विशेष लोक अभियोजक की मौखिक प्रार्थना पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा प्रतिपरीक्षा की अनुमति प्रदान की गई।

10. विशेष लोक अभियोजक द्वारा इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा किये जाने पर इसने कथन किया है कि वह कक्षा 8 तक पढा है, थोडा बहुत लिखना-पढना जानता है। पत्रावली पर मूल तहरीर प्रदर्श क-1 देखकर गवाह ने कहा कि यह उसके हाथ की लिखी नहीं है, किसने लिखी है तथा उसमें क्या लिखा है, उसे जानकारी नहीं है। साक्षी को उसका 161 द०प्र०सं० का बयान पढकर सुनाया, तो साक्षी ने कहा उसने

लिखित रूप में या मौखिक रूप में किसी पुलिस अधिकारी को कोई बयान नहीं दिया था। अगर पत्रावली पर कोई ऐसा बयान मौजूद है, तो वह इसकी वजह नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि हाजिर अदालत अभियुक्तगण निर्देशपाल, सुरेन्द्र एवं भूपेन्द्र ने उसकी पेशन बनाने एवं उससे रिश्वत के रूप में पैसा मांगा हो। यह कहना गलत है कि उसने हाजिर अदालत अभियुक्तगण की शिकायत जिला मलेरिया अधिकारी डा० वी.के. श्रीवास्तव से भी की हो। यह कहना भी गलत है कि उसकी शिकायत पर वीके श्रीवास्तव ने कहा हो कि वह बाबू से मिल ले वे कुछ पैसे कम करा देंगे। यह कहना भी गलत है कि विभाग के बाबू एवं चपरासियों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से गैंग बनाकर कर्मचारियों को परेशान किया जाकर अवैध वसूली की जाती है। यह कहना गलत है कि उक्त अभियोग के विरुद्ध अवैध वसूली के संबंध में एक विडियो सीडी/पैनड्राईव तैयार करके पुलिस को दी गई हो। यह कहना गलत है कि उसने DMO के आदेश पर लिपिक सुरेन्द्र शर्मा को 15,000/- रूपये, चपरासी भूपेन्द्र को 5,000/- रूपये तथा वरिष्ठ लिपिक निर्देशपाल को 14,000/-रूपये रिश्वत के रूप में दिये हो। यह कहना गलत है कि उसने कोई शिकायत प्रार्थना पत्र/तहरीर थानाध्यक्ष कोतवाली बुलंदशहर को दी हो। यह कहना गलत है कि उसने हाजिर अदालत मुल्जिम को अपनी पेंशन फाइल तैयार करने के लिए पैसे दिये हो एवं आज इनके डर दबाब के कारण न्यायायल में सही बात न बता रहा हो। यह कहना गलत है कि उसने पैन ड्राइव/सीडी तैयार करने के संबंध में कोई प्रमाण पत्र पुलिस को दिया हो। यह कहना गलत है कि उसने उन पर पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर व सीएमओ को कोई टाइपशुदा बयान अपने हस्ताक्षर करके दिये हो। यह कहना गलत है कि उसका मुल्जिमान से समझौता हो गया हो इसलिए आज अदालत में मुल्जिमान को बचाने के लिए सही बात न बता रहा हो। यह कहना सही है कि अभियुक्तगण उसके विभाग के है, लेकिन यह कहना गलत है कि अभियुक्तगण को बचाने के लिए वह आज न्यायालय में गलत बयानी कर रहा हो। उसे पता है कि न्यायाल में झूठ बोलने पर सजा हो सकती है।

11. इस साक्षी से अभियुक्तगण की तरफ से प्रतिपरीक्षा की गई, तो उसने बताया कि उसने करीब 35 वर्ष स्वास्थ्य विभाग में सेवा की है। तीनों अभियुक्तगण काफी लंबे समय तक नियुक्त रहे है। यह कहना सही है कि मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमे से संबंधित जो भी लिखा पढी हुई है वह मेरे सामने नही हुई।

12. पी०डब्लू० 2 के रूप में परीक्षित होते हुए **अनुज कुमार का०** ने सशपथ बयान किया कि दिनांक 29/09/21 को वह थाना कोतवाली नगर बुलंदशहर में बतौर कांस्टेबल क्लर्क तैनात था। उस दिन वादी सतेन्द्र सिंह पुत्र स्व० हेम सिंह की तहरीर, जो **SHO महोदय के डाक पैड से उसे प्राप्त हुई थी**, के आधार पर उसके द्वारा मु०अ०सं० 1455/2021 धारा 7/13 भ्र०नि०अधि० डा० बी.के. श्रीवास्तव आदि कुल चार नफर अभियुक्त पंजीकृत किया गया था, जो वादी से अवैध वसूली के संबंध में थी। पत्रावली में दाखिल असल चिक कागज सं० 4अ/1 ता 2 को देखकर साक्षी ने बताया

कि यह वही चिक है, जो कम्पयूटर पर उसके द्वारा टाइप की गई थी। इस पर थाना प्रभारी के हस्ताक्षर व थाना की मोहर है, पुष्टि करता हूँ, चिक कागज सं० 4अ/1 ता 2 पर प्रदर्श क-5 डाला गया। उपरोक्त अभियोग का खुलासा उसके द्वारा रपट सं० 57 समय 21:49 बजे दिनांक 29/09/2021 को ही किया गया था। यह रपट भी उसके द्वारा कम्यूटर पर तैयार की गई थी। पत्रावली पर दाखिल रपट सं० 57 कागज सं० 7 अ को देखकर साक्षी ने बताया कि यह वही जी.डी. है, जो उसके द्वारा कम्प्यूटर पर तैयार की गई थी, प्रमाणित करता है, जी.डी. पर प्रदर्श क-06 डाला गया।

13. अभियुक्तों की तरफ से इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा की गई, जिसमें साक्षी ने कथन किया कि **वादी तहरीर स्वंय लेकर नही आया था।** S.H.O. साहब के डाक पैड से प्राप्त हुई थी। तहरीर पर S.H.O. महोदय के मुकदमा दर्ज करने के आदेश थे। मुकदमा वादी उसके सामने थाने पर नहीं आया था। वह नहीं बता सकता कि डाक पैड में तहरीर किस माध्यम से आई थी। उसे ध्यान नहीं है कि तहरीर के साथ वादी ने घटना का कोई साक्ष्य दिया था या नहीं। उसने अपनी जानकारी के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 7/13 भ्र०नि०अधि० में चिक काटी थी। तहरीर के हिसाब से यह कहना सही है कि घटना 05/07/2021 की बताई गयी थी और मुकदमा 29/09/2021 को पंजीकृत कराया गया है। देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। यह कहना सही है कि इस अभियोग की तहरीर लेखक स्वंय वादी नहीं है। वादी के हस्ताक्षर तहरीर पर है, परन्तु उक्त हस्ताक्षर उसके सामने नहीं किये गये थे। तहरीर पर एक निशानी अंगूठा अंकित है। उसे नहीं पता कि उक्त निशानी अंगूठा किसका है।

14. पी०डब्लू० 3 के रूप में **डा० रोहताश कुमार यादव** परीक्षित हुए है, जिन्होंने सशपथ अभिकथन किया है कि सितंबर 2021 को वह अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर बुलंदशहर में तैनात थे। शिकायतकर्ता सतेन्द्र सिंह सेवानिवृत्त नगरीय मलेरिया इकाई बुलंदशहर द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी बुलंदशहर को एक लिखित शिकायत (टाईपशुदा पत्र) अवैध वसूली के उपरान्त भी सम्पूर्ण भुगतान न किये जाने के संबंध में प्रेषित किया था, जिस पर संज्ञान लेते हुए C.M.O महोदय द्वारा एक जांच कमेटी गठित की गई। उस जांच कमेटी में वह स्वंय व डा० सुनील कुमार ACMO तथा टीटू सिंह प्रशासनिक अधिकारी तीन लोगों की गठित की गई थी। उक्त आदेश के अनुपालन में उन तीनों द्वारा जांच की गई तथा शिकायती पत्र के साथ संलग्न आडियो वीडियो क्लिप, जो एक पैनड्राईव में उपलब्ध थी, की भी उनके द्वारा जांच की गई व तीनों जांच अधिकारियो पैनड्राइव पाई गई। क्लिप को देखने पर तथा मुल्जिमान सुरेन्द्र, भूपेन्द्र, व निर्देशपाल एवं डा० वी०के० श्रीवास्तव जिला मलेरिया अधिकारी से भी बातचीत तथा पूछताछ की थी। वीडियो क्लिप देखने के बाद सुरेन्द्र शर्मा (SFW) रुपये लेते हुए, गिनते हुए स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। इस संबंध में सुरेन्द्र शर्मा ने अपना लिखित बयान दिनांकित 24/09/2021 में उक्त रूपयों को उधार के होना बताया तथा उक्त उधार के पैसों को वापस लेना बताया था। चपरासी भूपेन्द्र सिंह तथा प्रधान

सहायक निर्देशपाल भी वीडियो फुटेज में रूपये लेते हुए, गिनते हुए दिखाई दे रहे थे। इन दोनों ने भी अपने लिखित बयान में उक्त रूपयों को उधार के होना बताया तथा उधार के रुप में वापस लेना बताया था। उक्त सीसी फुटेज अलग अलग समय पर अलग अलग जगह पर अलग अलग तिथियो की बनी थी। **समस्त साक्ष्य एवं बयानों के आधार पर जांच समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि निर्देशपाल प्रधान सहायक, श्री सुरेन्द्र शर्मा (SFW) एवं भूपेन्द्र सिंह चपरासी पर लगाये गये आरोप साक्ष्य के आधार प्रथम दृष्टया सही पाये गये क्योंकि तीनो लोगों द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण से जांच कमेटी सहमत नही थी एवं वीडियो फुटेज में सुनाई दे रही आवाज अभियुक्तगण द्वारा दिये गये लिखित बयान के अनुरूप या समान नहीं थे। उपरोक्त जांच के बाद उन तीनों की राय में तीनों अभियुक्तगण को दोषी पाते हुए तीनों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही व विभागीय कार्यावाही हेतु संस्तुति की गई।** गवाह ने पत्रावली पर मौजूद समिति की जांच आख्या 14अ/1ता 2 को देखकर बताया कि यह वही जांच आख्या है, जो जांच समिति द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी के पत्र सं० मु०चि०अ०/स्था०/2021-22/1986/1988 दिनांकित 21/09/2021 एवं 22/09/2021 के अनुपालन में गठित जांच समिति ने दी थी। इस पर जांच समिति के प्रत्येक सदस्य के हस्ताक्षर हैं, उसके भी हस्ताक्षर है। जांच आख्या की यह फोटो कापी के रूप में पत्रावली पर दाखिल है, जो CMO बुलंदशहर द्वारा सत्यापित है। इस अभियोग के संबंध में पुलिस ने मेरा बयान भी लिया था। निर्देशपाल, भुपेन्द्र व सुरेन्द्र हमारे ही विभाग में कार्यरत थे।

15. अभियुक्तगण की तरफ से इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा की गई, जिसमें साक्षी ने कथन किया कि इस जांच आख्या में अभियुक्तगण के विरुद्ध वादी सतेन्द्र सिंह द्वारा उपलब्ध करायी गयी वीडियो फुटेज एवं CMO को दिये गये शिकायती पत्र के आधार पर प्रस्तुत की थी। जांच समिति ने वादी मकुदमा सतेन्द्र सिंह के कोई मौखिक बयान दर्ज नहीं किये थे। वीडियो फुटेज की पेनड्राइव CMO के निर्देशन पत्र के साथ प्राप्त हुई थी। यह बात सही है कि **वादी द्वारा जांच कमेटी को पेनड्राइव के संबंध में लिखित रूप में कोई ऐसा प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं करवाया गया, जिससे यह प्रमाणित हो कि यह उसके द्वारा तैयार की गई थी। मुल्जिम द्वारा अपने स्पष्टीकरण में दिये गये कारणों के संबंध में जांच कमेटी द्वारा कार्यालय में उपस्थित अन्य कर्मचारीगण से कोई पूछताछ नहीं की गई थी।** यह कहना सही है कि जांच समिति द्वारा जांच आख्या में वादी एवं अभियुक्तगण के मध्य हुई वार्ता के संबंध में वार्तालाप का विवरण अंकित नहीं है। उसकी जानकारी में नहीं है कि वादी एवं अभियुक्तगण के बीच कभी कोई विवाद रहा है या नहीं।

16. पी०डब्लू० 4 के रूप में **डा० सुनील कुमार** अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने मुख्य परीक्षा में सशपथ अभिकथन किया है कि सितंबर 2021 में वह अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात था। शिकायतकर्ता सतेन्द्र सिह सेवानिवृत्त नगरीय मलेरिया इकाई बुलंदशहर द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी बुलंदशहर एक लिखित

शिकायत (टाईपशुदा पत्र) अवैध वसूली के उपरान्त सम्पूर्ण भुगतान न किये जाने के संबंध में प्रेषित किया था, जिस पर सी.एम.ओ महोदय द्वारा संज्ञान लेते हुए एक जांच कमेटी गठित की गई थी। उक्त जांच कमेटी में व स्वंय डा० रोहताश कुमार यादव (एसीएमओ) तथा टीटू सिंह प्रशासनिक अधिकारी शामिल किये गये थे तथा सी.एम.ओ साहब के आदेश के अनुपालन उन तीनों द्वारा जांच की गई तथा शिकायती पत्र के साथ संलग्न ओडियो वीडियो क्लिप, जो यह पैन ड्राइव में उपलब्ध थी, की भी हमारे द्वारा जांच की गई। हम तीनों जांच अधिकारियों द्वारा पैन ड्राइव में पाई गई। क्लिप को देखने पर तथा मुल्जिम सुरेन्द्र, भूपेन्द्र व निर्देशपाल एवं डा० वीके श्रीवास्तव जिला मलेरिया अधिकारी से भी बातचीत तथा पूछताछ की थी। वीडियो क्लिप देखने के बाद सुरेन्द्र शर्मा (SFW) रुपये लेते हुए, गिनते हुए स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। इस संबंध में सुरेन्द्र शर्मा ने अपने लिखित बयान दिनांक 24/09/2021 को उक्त रूपयों को उधार का होना बताया तथा वही उधार के पैसे वापस लेना बताया था। चपरासी भूपेन्द्र व प्रधान सहायक निर्देशपाल वीडियो फुटेज में रुपये लेते हुए गिनते हुए दिखाई दे रहे हे। इन दोनों के द्वारा ही अपने लिखित बयान मे उक्त रुपयों को उधार का होना बताया था तथा उन्हीं को वापस लेना बताया था। सभी वीडियो फुटेज अलग-अलग समय पर अलग-अलग तिथियों की बनी है। समस्त साक्ष्य एवं बयानों के आधार पर जांच समिति इस निष्कर्ष पर पंहुची थी कि प्रधान सहायक निर्देशपाल सुरेन्द्र शर्मा (SFW) एवं भूपेन्द्र सिंह चपरासी पर लगाये गये आरोप प्रथम दृष्टया सही थे, क्योंकि उपरोक्त तीनों के दिये गये स्पष्टीकरण से जांच कमेटी सहमत नहीं थी एवं वीडियो फुटेज में सुनाई दे रही आवाज अभियुक्तगण द्वारा दिये गये लिखित बयान के अनुरूप नहीं थी। उपरोक्त जांच के बाद उन तीनों जांच टीम के सदस्यों के तीनों अभियुक्तगणो को दोषी पाते हुए तीनों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक एवं विभागीय कार्यवाही हेतु संस्तुति की गयी थी। गवाह ने पत्रावली पर मौजूद जांच समिति की आख्या कागज संख्या 14अ को देखकर बताया कि यह वही जांच आख्या है, जो हम तीनों द्वारा जांच के उपरान्त सी.एम.ओ के पत्र संख्या मु०चि०अ०/स्था/2021-22/1986/1988 दिनांकित 21/09/2021 एवं 22/09/2021 के अनुपालन में गठित जांच समिति द्वारा दी गयी थी। इस पर जांच समिति के तीनों सदस्यों के हस्ताक्षर है व स्वंय के भी हस्ताक्षर है, पुष्टि करता है। जांच समिति की जांच आख्या कागज सं० 14अ/01 ता 02 प्रमाणित प्रति है। इसको सी.एम.ओ बुलंदशहर द्वारा प्रमाणित किया गया है। इस पर उन्हीं सी.एम.ओ साहब के हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित किया गया है। प्रमाणित प्रति जांच आख्या 14अ/01 ता 02 पर **प्रदर्श क-7 डाला** गया। इस अभियोग के संबंध मे पुलिस ने उसका बयान लिया था। निर्देशपाल, भूपेन्द्र एवं सुरेन्द्र उसके विभाग में कार्यरत रहे है। वह उन्हें जानता पहचानता है।

17. प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने अभिकथन किया है कि उसे याद नहीं है कि पुलिस ने उसका कोई बयान लिया था या नहीं। उसके सामने इस मुकदमे से संबंधित

कोई घटनाक्रम नहीं हुआ। कमेटी द्वारा, जो जांच की गई, वह शिकायतकर्ता सतेन्द्र सिंह के द्वारा उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों के आधार पर की गई। यह बात सही है कि सुरेन्द्र शर्मा व भूपेन्द्र सिंह दोनों चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी है। यह बात सही है कि यह दोनों लोग किसी प्रशासनिक की लिखा पढी नहीं करते है। उन्होंने इस संबंध में जांच नहीं की थी। वादी सतेन्द्र सिंह की पेंशन से संबधित कागजात की फाइल घटना के समय निर्देशपाल की कस्टडी में थी या नहीं। सतेन्द्र सिह ने उन्हें यह नहीं बताया था कि जो वीडियो क्लिप पैन ड्राइव में उपलब्ध करायी गयी थी, वह किसके द्वारा तैयार की गयी थी। जांच समिति द्वारा अपनी जांच के दौरान कार्यालय में कार्यरत किसी अन्य कर्मचारी के बयान नहीं लिये गये थे। **जाँच समिति द्वारा शिकायतकर्ता सतेन्द्र सिंह के मौखिक व लिखित बयान अंकित नहीं किये थे। यह** बात सही है कि जाँच समिति के समक्ष उपलब्ध वीडियो क्लिप में हुई वार्तालाप का विवरण हमारी रिपोर्ट में अंकित नहीं किया गया है। उसे जानकारी नहीं है कि वादी एवं अभियुक्तगण के बीच कभी कोई विवाद रहा है या नहीं।

18. पी०डब्लू० 5 के रूप में **टीटू सिंह जिला प्रशासनिक अधिकारी** ने सशपथ अभिकथन किया है कि वह अक्टूबर 2019 से आज तक वह जिला प्रशासनिक अधिकारी के पद पर सीएमओ कार्यालय में ही बुलंदशहर में तैनात है। सीएमओ बुलंदशहर पत्र सं० मु०चि०अ०/स्था/ 2021-22/1986/1988 दिनांकित 21/09/2021 एवं 22/09/2021 के निर्देशन में एक जांच कमेटी गठित की गई थी, जिसमें उसे भी नामित किया था। उसके साथ उक्त समिति में डा० सुनील कुमार व डा० रोहताश कुमार एसीएमओ भी सदस्य थे। यह जांच शिकायतकर्ता सतेन्द्र सिंह सेवानिवृत्त नगरीय मलेरिया इकाई बुलंदशहर द्वारा सीएमओ बुलंदशहर के एक लिखित टाईपशुदा शिकायत की थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए सीएमओ महोदय ने यह जांच गठित की थी। शिकायतकर्ता द्वारा दी गई वीडियो सीडी की भी हमारे द्वारा जांच की गयी थी। वीडियो क्लिप देखने एवं सुनने के बाद सुरेन्द्र शर्मा (SFW) रूपये लेते हुए गिनते हुए साफ दिखाई दे रहे थे। चपरासी भूपेन्द्र सिंह व प्रधान सहायक निर्देशपाल भी वीडियो फुटेज में रुपये लेते हुए गिनते हुए व बात करते हुए साफ दिखाई दे रहे थे। उपरोक्त तीनों अभियुक्तगण द्वारा अपने लिखित स्पष्टीकरण में उपरोक्त पैसों को केवल उधार के पैसे होना व उधार के पैसे वापस लेना बताया था। सभी वीडियो फुटेज अलग-अलग स्थान व अलग-अलग तिथियों की बनी हुई थी। समस्त साक्ष्य एवं बयानो के आधार पर जांच समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि प्रधान सहायक निर्देशपाल, SFW सुरेन्द्र शर्मा एव चपरासी पर लगाये गये आरोप प्रथम दृष्टया सही पाये गये थे, क्योंकि उपरोक्त तीनों के द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण से जांच समिति सहमत नहीं थी एवं वीडियो फुटेज में सुनाई दे रही आवाज अभियुक्तगणों द्वारा दिये लिखित बयानों के अनुरूप नहीं थी। उपरोक्त जांच के बाद हम तीनों जांच समिति के सदस्यों ने डा० वी.के श्रीवास्तव जिला मलेरिया अधिकारी एवं कुलवंत सिंह को दोषी नहीं पाया था तथा जांच समिति ने तीनों

अभियुक्तगणो को दोषी पाते हुए तीनों अभियुक्तगणों को विरुद्ध अनुशासनात्मक एवं विभागीय कार्यवाही हेतु संस्तुति दी गयी थी। वीडियो क्लिप में पैसों का लेन-देन स्पष्ट दिखाई दे रहा था। गवाह ने पत्रावली पर दाखिल जांच समिति की जांच आख्या 14अ/1 ता 2 को देखकर कहा कि यह वही जांच आख्या है, जो समिति द्वारा दी गई थी। इस पर स्वंय उसके के भी हस्ताक्षर है, पुष्टि करता हू, इस पर पूर्व से प्रदर्श क-7 पडा है। उपरोक्त जांच आख्या सीएमओ बुलंदशहर द्वारा प्रमाणित है। इस अभियोग के संबध में बुलंदशहर पुलिस ने उसका बयान लिया था। निर्देशपाल, भूपेन्द्र एवं सुरेन्द्र उसके विभाग में कार्यरत रहे है। वह उन्हें जानता पहचानता है।

19. प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने अभिकथन किया है कि उसे ध्यान नहीं है कि पुलिस ने उसका बयान किस दिनांक को लिया था। उसके सामने इस घटना से संबंधित कोई घटनाक्रम नहीं हुआ। शिकायतकर्ता सतेन्द्र सिंह द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्यो के आधार पर ही जांच कमेटी द्वारा जांच की गयी थी। यह बात सही है कि भूपेन्द्र एवं सुरेन्द्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। भूपेन्द्र के कोई प्रशासनिक लिखा पढी करने का अधिकार नहीं था। सुरेन्द्र शर्मा के प्रशासनिक कार्य करने का अधिकार था या नहीं, उसे नही पता, क्योंकि सुरेन्द्र शर्मा SFW थे। जांच समिति ने शिकायतकर्ता सतेन्द्र सिंह के पेंशन से संबंधित कागजात की फाइल निर्देशपाल की कस्टडी में थी, इस बात की जांच नहीं की। जांच समिति ने शिकायतकर्ता का मौखिक बयान नहीं लिया था। वीडियो क्लिप कब कहा किसके द्वारा तैयार की गयी थी, इस बारे में जांच समिति द्वारा वादी सतेन्द्र सिंह से पूछताछ नहीं की गई थी। जांच समिति द्वारा कार्यालय के किसी भी व्यक्ति का कोई बयान अंकित नहीं किया गया था। यह बात सही है कि जांच समिति के समक्ष उपलब्ध वीडियो क्लिप में हुई वार्तालाप का विवरण जांच आख्या में अंकित नहीं किया गया है। उसे जानकारी नहीं है कि वादी एवं अभियुक्तगण के बीच किसी बात को लेकर कोई विवाद था या नहीं। यह कहना गलत है कि जांच समिति द्वारा गलत तथ्यों पर जांच तैयार की गयी है एवं जांच आख्या गलत हो।

20. पी०डब्लू० 6 के रूप में **कुलवंत कुमार सिंह वरिष्ठ सहायक** CHC रेहरा जिला अमरोहा ने सशपथ अभिकथन किया कि वह इस समय CHC रेहरा, जिला अमरोहा में वरिष्ठ सहायक के पद पर तैनात है। उसका स्थानान्तरण बुलंदशहर से दिनांक 15.07.2021 को D.M.O कार्यालय से अमरोहा के लिए हो गया था। वह दिनांक 02.08.2021 को D.M.O कार्यालय बुलंदशहर से रिलीव हुआ था तथा उसने 09.08.2021 को सी.एम.ओ कार्यालय अमरोहा में ज्वॉइन किया था। बुलंदशहर के DMO कार्यालय में उसके साथ सतेन्द्र (शिकायतकर्ता) भी कार्यरत थे। सतेन्द्र दिनांक 31.07.2021 को रिटायर होने वाले थे तथा सतेन्द्र अपनी पेंशन के कागजात तैयार करवा रहे थे। पेंशन से संबंधित कार्य DMO कार्यालय में उसके पास था। सतेन्द्र उसके पास तीन-चार बार पता करने आया था कि उसकी पेंशन पत्रावली कहां तक पहुँची थी, तो उसने सतेन्द्र को बता दिया था कि उसकी पत्रावली चल रही है। अभियुक्त सुरेन्द्र

शर्मा DMO कार्यालय में कार्यरत था एवं भूपेन्द्र तथा निर्देशपाल सी.एम.ओ कार्यालय बुलंदशहर में तैनात थे। अभियुक्त सुरेन्द्र शर्मा DMO कार्यालय में लिपिक का कार्य नहीं देखते थे। उसने सतेन्द्र से नहीं कहा था कि वह अपनी पत्रावली को पूर्ण कराने के लिए सुरेन्द्र शर्मा लिपिक D.M.O कार्यालय से जाकर मिले। उसे नहीं पता कि सतेन्द्र ने अभियुक्तगण सुरेन्द्र, भूपेन्द्र व निर्देशपाल की रिश्वत लेने के संबंध में शिकायत की है या नहीं। उसे जानकारी नहीं है कि अभियुक्तगण सुरेन्द्र, भूपेन्द्र एवं निर्देशपाल ने सतेन्द्र की पत्रावली पूर्ण कराने के लिए सतेन्द्र से रिश्वत के रूप में पैसे लिये थे या नहीं। इस साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

21. लोक अभियोजक द्वारा की गई प्रतिपरिक्षा में इस साक्षी ने अभिकथन किया है कि वह इंटर तक पढ़ा-लिखा है। गवाह को उसका 161 द०प्र०सं० का बयान पढ़कर सुनाया एवं दिखाया, तो गवाह ने कहा कि इसमे मेरा कुछ बयान सही लिखा है तथा कुछ गलत लिखा है। यह बात सही है कि सतेन्द्र की पेंशन से संबंधित पत्रावली मेरे कार्यालय में चल रही थी। सी.एम.ओ कार्यालय में तैनात निर्देशपाल पेंशन से संबंधित पत्रावली देखते थे। यह कहना सही है कि भूपेन्द्र सी.एम.ओ बुलंदशहर के कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी था। यह कहना सही है कि सतेन्द्र की पेंशन से संबधित पत्रावली सीएमओ कार्यालय के बाबू निर्देशपाल के पास गयी थी। उसे जानकारी नहीं है कि भूपेन्द्र, सुरेन्द्र एवं निर्देशपाल ने रिश्वत लेकर सतेन्द्र की पत्रावली को आगे बढ़ाया हो। उसे जानकारी नहीं है कि उपरोक्त तीनों अभियुक्तगण योजनाबद्ध तरीके से अवैध वसूली करते है तथा लोगों को परेशान करते है। उसे जानकारी नहीं है कि उपरोक्त तीनों अभियुक्तगण के विरुद्ध सतेन्द्र ने रिश्वत के लेनदेन की वीडियो बनाकर अपनी शिकायत के साथ दी थी या नहीं। यह कहना गलत है कि अभियुक्तगण मेरे विभाग के होने के नाते वह आज सही बात न बता रहा हो। यह कहना गलत है कि उसका मुल्जिमान से समझौता हो गया हो एवं इसलिए उनके डर दबाब के कारण सही बात न बता रहा हो। उसे जानकारी है कि न्यायालय में झूंठा बयान देना अपराध है। यह कहना गलत है कि सतेन्द्र ने उसे D.M.O को देने के लिए अवैध पैसे दिये हो।

22. अभियुक्त द्वारा प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने अभिकथन किया है कि उसका स्थानान्तरण बुलंदशहर से दिनांक 15.07.2021 को हो गया था एवं यह मुकदमा दिनांक 29.09.21 को पंजीकृत कराया गया है। उसे कोई जानकारी नहीं है कि इस मुकदमें में किसके खिलाफ क्या लिखा गया है। उसका बयान बुलंदशहर में पुलिस ने लिया था, तारीख ध्यान नहीं है। सतेन्द्र की पेंशन की पत्रावली उसने तैयार करके अपने रिलिव होने से पहले सी.एम.ओ कार्यालय बुलंदशहर को भेज दी थी। उसके द्वारा पत्रावली पूर्ण करके सी.एम.ओ कार्यालय को भेज दी थी। यह कहना सही है कि सतेन्द्र की पेंशन की पत्रावली DMO कार्यालय में उसके अलावा किसी अन्य के पास कोई उत्तरदायित्व था। यह बात सही है कि सुरेन्द्र D.M.O कार्यालय में SFW के पद पर कार्यरत था, जो फिल्ड का कार्य देखता था। SFW पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पद है। उसके पास से

सीएमओ आफिस को पत्रावली जाने के बाद उस पत्रावली में क्या कार्यवाही हुई, किसने की उसे नहीं पता। उसे जानकारी नहीं है कि इस मुकदमे से संबंधित कोई विभागीय जांच हुई थी या नहीं। यह कहना सही है कि इस घटना से संबंधित मुकदमे की उसे कोई जानकारी नहीं है। यह कहना सही है कि उसने आज स्वच्छ मन से बिना दबाव सही बयान दिया है।

23. पी०डब्लू० 7 के रूप में परीक्षित होते हुए **डॉ० विनय कुमर सिंह** ने सशपथ अभिकथन किया है कि दिनांक जुलाई 17, 2021 से वह सी.एम.ओ के पद पर जिला बुलंदशहर में कार्यरत है। शिकायतकर्ता सतेन्द्र IFW नगरीय मलेरिया इकाई बुलंदशहर में हमारे अधीन कार्यरत थे। सतेन्द्र सिंह सेवानिवृत्त का एक प्रार्थना पत्र, जो अवैध वसूली तथा सेवानिवृत्ति के उपरान्त स्मपूर्ण भुगतान न किये जाने के संबंध में था, उसे प्राप्त हुआ था। उपरोक्त शिकायत के संबंध में उसके द्वारा एक जांच कमेटी गठित की गई थी। जांच उपरान्त कमेटी द्वारा अपनी आख्या उसे प्रेषित की गई थी, जिसमें निर्देशपाल प्रधान सहायक, श्री सुरेन्द्र शर्मा SFW एवं श्री भूपेन्द्र सिंह चपरासी पर लगाये गये आरोप साक्ष्यों के आधार पर सही प्रतीत होना अंकित था तथा जांच आख्या में आरोपीगण के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी थी। कमेटी की जांच आख्या की सत्यप्रति मेरे हस्ताक्षर सहित पत्रावली पर कागज सं० 14अ/1 ता 2 के रूप में मौजूद है, जो मेरे द्वारा इस अभियोग के विवेचक को प्रदान की गई थी। इस प्रकरण में विवेचक द्वारा डॉक्टर वी.के. श्रीवास्तव, निर्देशपाल, सुरेन्द्र शर्मा व भूपेन्द्र सिंह के नाम पता, तैनाती स्थान, व मोबाइल नं० मांगे गये थे, जो मेरे द्वारा विवेचक को दिनांक 16/10/21 को प्रदान किये गये थे। उक्त पत्र पत्रावली पर कागज सं० 13अ के रूप में मौजूद है। इस पर उसके हस्ताक्षर है। पत्रावली पर दाखिल अभियोजन अनुमति कागज सं० 19अ/03 को देखकर साक्षी ने बताया कि यह वही अभियोजन अनुमति है, जो उसके द्वारा अभियुक्त सुरेन्द्र शर्मा व भूपेन्द्र के विरुद्ध प्रदान की गई थी। उक्त अभियुक्तगण का वह नियोक्ताधिकारी था, जिनके विरुद्ध भ्र०नि०अधि० की धारा 7 व 13 की एफ.आई.आर. दर्ज करायी गयी थी, जिसके समस्त अभिलेख साक्ष्य, प्रपत्र आदि देखने के उपरान्त उसने यह अनुमति प्रदान की थी, क्योंकि वह प्रधान सहायक निर्देशपाल का नियोक्ताधिकारी नहीं था। इसलिए उसके द्वारा निर्देशपाल के विरुद्ध अभियोजन अनुमति प्रदान नहीं की गई थी। प्रधान सहायक निर्देशपाल के संबंध में उसके द्वारा निदेशक प्रशासन, चिकित्सा एवं स्वास्थय सेवाए लखनऊ में अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में पत्राचार किया था। उक्त पत्राचार की कॉपी पत्रावली पर कागज सं० 19अ/1 ता 2 एवं 19अ/4 ता 5 के रूप में मौजूद है। इन पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा अभियुक्तगण सुरेन्द्र शर्मा व भूपेन्द्र सिंह के विरुद्ध प्रदान की गई अभियोजन अनुमति, जो पत्रावली पर कागज सं० 19अ/3 के रूप में मौजूद है, पर उसके हस्ताक्षर है, पुष्टि करता है। अभियोजन अनुमति कागज संख्या 19अ/3 पर प्रदर्श क-7 डाला गया।

24. प्रतिपरिक्षा में इस साक्षी ने अभिकथन किया है कि तीनों अभियुक्तगण के लिए सहायक पुलिस अधीक्षक नगर जनपद बुलंदशहर के द्वारा प्राप्त पत्र दिनांक 20.12.21 में अन्तर्गत धारा 197 द०प्र०सं० के अतर्गत अभियोजन अनुमति चाही गयी थी। वह 197 द०प्र०सं० के संबंध में यह जानता है कि लोक सेवक पर मुकदमा चलाने के लिए इस धारा के तहत अनुमति प्रदान की जाती है। यह बात सही है कि यह मुकदमा भ्र०नि०अधि० विशेष अधिनियम के अंतर्गत आता है। उसे इस बारे में जानकारी नहीं है कि भ्र०नि०अधि० अभियोजन स्वीकृति हेतु विशेष धारा का प्रावधान है या नहीं। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि भ्र०नि०अधि० विशेष अधिनियम की अनुमति धारा 20 के अंतर्गत आती है। उसे इस समय ध्यान नहीं है कि विवेचक द्वारा जिस पत्र के माध्यम से अभियोजन अनुमति चाही गयी थी, उस पत्र के साथ विवेचक ने क्या-क्या संलग्न लगाये थे। यह बात सही है कि उसके द्वारा प्रदान की गई अभियोजन अनुमति में उसके द्वारा किन-किन प्रपत्रों का अवलोकन किया गया, उसका जिक्र नहीं है। पत्रावली पर ऐसा कोई शासनादेश नहीं है कि वह सुरेन्द्र व भूपेन्द्र का नियुक्ति अधिकारी हो। उसने निर्देशापाल की अभियोजन अनुमति हेतु निदेशक प्रशासन चिकित्सा एवं स्वास्थय सेवाए उ०प्र० लखनऊ को पत्राचार किये थे। उसे इस समय ध्यान नहीं कि अभियुक्त निर्देशपाल के विरुद्ध जारी की अभियोजन अनुमति, जो पत्रावली पर कागज सं० 20अ हो, की कोई प्रति उसके कार्यालय में प्राप्त हुई थी या नहीं। कागज सं० 20अ पर अंकित डाक्टर राजा गणपति आर.आई.ए.एस निदेशक प्रशासन के हस्ताक्षर को वह पहचानता है। यह कहना गलत है कि उसने सुरेन्द्र व भूपेन्द्र के विरुद्ध अभियोजन चलाया जाना हेतु बिना साक्ष्यों के अवलोकन किये अनुमति प्रदान की हो। यह कहना भी गलत है कि उसने उचित धाराओ में अभियोजन स्वीकृति प्रदान न की हो।

25. मेरे द्वारा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान विशेष सहायक जिला शासकीय अधिवक्तागण को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त सामग्री, साक्ष्यों का सम्यक् परिशीलन किया गया।

26. यहां पर यह उल्लिखित किया जाना न्यायोचित है कि किसी आपराधिक प्रकरण में अभियुक्त को उसके विरूद्ध लगाये गये आरोप में तभी दण्डादिष्ट किया जा सकता है जब अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध अभियोजन पक्ष प्रस्तुत मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य से सन्देह की प्रत्येक युक्तियुक्त सीमा से परे साबित करने में सफल हो तथा अभियोजन पक्ष यह सिद्ध करने में सफल हो कि घटना उसी प्रकार से घटित हुई जिस प्रकार से कही गयी है। विधि का यह निर्विवाद एवं सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी आपराधिक प्रकरण को प्रमाणित करने का मूल एवं प्राथमिक दायित्व अभियोजन पक्ष पर है। इस दायित्व को पूर्ण करने के लिए यह आवश्यक है कि अभियोजन पक्ष अत्यन्त विश्वसनीय, सारगर्भित व परस्पर सामंजस्यपूर्ण साक्ष्य के माध्यम से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध के आरोप को मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य से

युक्तियुक्त सन्देह की प्रत्येक सीमा से परे साबित करे। अभियोजन पक्ष को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से सम्बन्धित प्रकरण के तथ्यों को भी उसी प्रकार युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करना आवश्यक होता है जैसा कि सामान्य आपराधिक प्रकरणों में अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य के माध्यम से प्रकरण के तथ्यों को युक्तियुक्त सन्देह की प्रत्येक सीमा से परे साबित किया जाता है।

27. अभियुक्तों की तरफ से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त के विरुद्ध सोच समझकर एवं षडयंत्र के तहत काफी विलंब से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गयी है। इस मामले में दी गयी तहरीर के अनुसार घटना दिनांक 05/07/2021 की बताई गयी है, जबकि थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट 29/09/2021 को दर्ज की गयी है, जो काफी विलंब से है। इस बिलंब का अभियोजन द्वारा कोई स्पष्टीकरण नही दिया गया है।

28. अभियोजन की तरफ से तर्क दिया कि प्रस्तुत मामले में वादी द्वारा तहरीर प्रस्तुत किये जाने के बाद अभियुक्तो के विरुद्ध विभागीय जांच हुई है, जिसके पश्चात घटना सत्य पाये जाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी है। इस तरह प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने में लिखाये जाने के संबंध में न तो कोई विलंब किया गया है न ही कोई षडयंत्र किया गया है।

29. इस तर्क के संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि कागज सं० 4अ/3 प्रदर्श क-1 जो वादी के द्वारा दिया गया तहरीर अभियोजन द्वारा बताया गया है। इस तहरीर का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि इसमे घटना दिनांक 05/07/21 की बताई गयी है परन्तु समय उल्लिखित नही है। इसका लेखक अवधेश के रूप में नाम उल्लिखित है, परन्तु इसे अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है। प्रार्थी के रूप में सतेन्द्र सिंह का नाम अंकित है। तहरीर पर तिथि अंकित नही की गयी है, केवल प्रथम पृष्ठ पर नीचे "HM/Cl/अभियोग पंजीकृत करें/अपठनीय हस्ताक्षर /SHO/ 29-09-21" उल्लिखित है। इससे भी यह स्पष्ट नही है कि किस दिनांक को तहरीर दी गयी। तहरीर में नीचे उल्लिखत वाक्य से ऐसा प्रतीत होता है कि एस०एच०ओ० ने 29.09.2021 को अभियोग पंजीकृत करने का आदेश दिया है। पी०डब्लू० 1 के रूप में परीक्षित होते हुए वादी मुकदमा ने तहरीर के संबंध में कथन किया है कि पत्रावली पर उपलब्ध मूल तहरीर का०सं० 4अ/3 व 4 पर उसके हस्ताक्षर है जिसकी शिनाख्त की है जिस पर प्रदर्श क-1 डाला गया। परन्तु बाद में मुख्य परीक्षा में ही कथन किया है कि सी०एम०ओ० साहब ने अपने यहां बुलाया था वहां पर एक पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे उन्होंने मुझे कुछ कोरे कागजात पर हस्ताक्षर कराये थे। पत्रावली पर उपलब्ध कागज सं० 8अ तथा 11अ/1 ता 3 व 12अ/1 ता 3 को देखकर उसपर अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त की है, जिस पर क्रमशः प्रदर्श क-3, क-4 व क-5 डाला गया है। इस साक्षी ने अग्रेतर मुख्यपरीक्षा में ही कथन किया है कि हाजिर अदालत अभियुक्तगण सुरेन्द्र, निर्देशपाल व भूपेन्द्र द्वारा उसके पेंशन के भुगतान के संबंध में किसी पैसे की

मांग नहीं की थी। उसने अभियुक्त के विरूद्ध कभी कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया था। इस तरह से इस साक्षी ने तहरीर में उल्लिखित रिश्वत से संबंधित रूपये का अभियुक्तो को दिया जाना अस्वीकार कर दिया है। इस साक्षी से अभियोजन द्वारा जिरह किया गया है। जिरह में भी यह कथन किया है कि मूल तहरीर प्रदर्श क-1 उसके हाथ की लिखी नहीं है किसने लिखी है तथा उसमे क्या लिखा है उसे जानकारी नहीं है। यहां तक कि धारा 161 द०प्र०सं० के बयान को जब पढकर सुनाया गया तो उसने कहा कि उसने लिखित रूप में या मौखिक रूप में किसी पुलिस अधिकारी को कोई बयान नहीं दिया था। इस तरह से वादी मुकदमा स्वयं ही तहरीर में उल्लिखित कथनों के विरोधाभासी बयान अपने साक्ष्य में दिया है। यहां तक कि यह भी कथन किया है कि वह अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई प्रार्थना पत्र ही नहीं दिया था। यहां पर यह भी उल्लिखित किया जाना न्यायोचित है कि तहरीर प्रदर्श क-1 का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि इस तहरीर के लेखक के रूप में अवधेश कुमार तहरीर के अन्त में लेखक के रूप में उल्लिखित है, परन्तु अभियोजन द्वारा इस लेखक को समक्ष न्यायालय परीक्षित नहीं कराया गया है। इसके अतिरिक्त तहरीर के अन्त में ही एक अंगूठे का निशान है। वह अंगूठे का निशान किसका है यह भी अभियोजन द्वारा स्पष्ट नहीं कराया गया है।

30. यहां पर यह उल्लिखित किया जाना भी उचित है कि पी०डब्लू० 2 के रूप में कां. अनुज कुमार चिक एफ.आई.आर. लेखक को अभियोजन द्वारा परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्यपरीक्षा में यह कथन किया है कि दिनांक 29/09/21 को वह थाना कोतवाली नगर बुलंदशहर में बतौर कांस्टेबल क्लर्क तैनात था। उस दिन वादी सतेन्द्र सिंह की तहरीर जो SHO महोदय के डाक पैड से उसे प्राप्त हुई थी के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया था। इस साक्षी ने चिक एफ.आई.आर. को प्रदर्श क-5 व जीडी प्रदर्श क-6 को साबित किया है। जिरह में इस साक्षी ने कथन किया है कि वादी स्वंय तहरीर लेकर नही आया था। वह यह नही बता सकता कि डाक पैड में तहरीर किस माध्यम से आई थी। तहरीर के हिसाब से यह कहना सही है कि घटना 05/07/21 की बताई गयी थी और मुकदमा 29/09/21 को पंजीकृत कराया गया था। देरी का कोई स्पष्टीकरण नही दिया गया है। इस साक्षी ने अग्रेतर जिरह में यह स्वीकार किया है कि इस अभियोग की तहरीर लेखक स्वंय वादी नहीं है। वादी के हस्ताक्षर तहरीर पर है, परन्तु उक्त हस्ताक्षर उसके सामने नहीं किये गये थे। तहरीर पर एक निशानी अंगूठा मौजूद है, परन्तु उसे नहीं पता वह किसका है।

31. इस तरह पत्रावली में चिक F.I.R. कागज सं० 4अ/1 के रूप में संलग्न है जिसे PW2 का० अनुज कुमार ने साबित किया है, जिसपर प्रदर्श क-5 डाला गया है। जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना दिनांक 05/07/21 समय 00:00 तथा थाने पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 29/09/21 समय 21:49 बजे अंकित है।

32. इस तरह उपरोक्त प्रपत्र तहरीर प्रदर्श क-1 व चिक FIR प्रदर्श क-5 के

अवलोकन से स्पष्ट है कि घटना और थाने में सूचना दर्ज किये जाने में दो महीने 24 दिन की देरी है, जिसका कोई स्पष्टीकरण न तो तहरीर में उल्लिखित है न अभियोजन द्वारा दिया गया है।

33. इसके अतिरिक्त यहां पर यह उल्लिखित किया जाना उचित है कि इस मामले में आरोपित अभियुक्तो के विरुद्ध विभागीय जांच कि गयी है जिसके संबध में जांच समिति कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी बुलंदशहर को जांच आख्या कागज सं० 14अ/1 के रूप में शामिल पत्रावली की गयी है, जो प्रदर्श क-7 के रूप में साबित किया गया है, जिसे PW3 डॉ० रोहताश कुमार यादव, PW4 डा० सुशील कुमार और PW5 टीटू सिंह, पी०डब्लू० 7 डा० विनय कुमार सिंह के द्वारा साबित किया गया है। पी०डब्लू० 7 सी०एम०ओ० विनय कुमार सिंह द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि उसके पास शिकायतकर्ता ने एक शिकायती प्रार्थना पत्र प्रेषित किया था, जिस पर जांच समिति गठित की गयी थी, परन्तु इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन नहीं किया है कि उसके पास शिकायतकर्ता का शिकायती प्रार्थना पत्र किस दिनांक व किस समय प्राप्त हुआ था। इस जांच आख्या में भी यह उल्लिखित है कि "मुख्य चिकित्सा अधिकारी बुलंदशहर के पत्र संख्या मु०चि०अ०/स्था/2021-22/1986/1988 दिनांकित 21.09.2021 एवं 22.09.2021 के आधार पर दिनांक 21.09.2021 एवं 22.09.2021 के क्रम में जांच समिति गठित की गयी है। समिति की जांच आख्या दिनांक 24.09.2021 को तैयार करके मुख्य चिकित्सा अधिकारी बुलंदशहर प्रेषित की जा चुकी थी। यहां पर यह भी उल्लिखित किया जाना न्यायोचित है कि इस मामले में जो तहरीर प्रदर्श क-1 दी गयी है जिसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी है उसमे मुख्य चिकित्सा अधिकारी बुलंदशहर अथवा शासन के किसी पत्र के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने उल्लिखित नही है। यहां पर यह भी उल्लिखित किया जाना न्यायोचित है कि इस मामले में गठित जांच समिति ने अपनी जांच आख्या मात्र दो दिन में प्रेषित की है। उपरोक्त दिये गये तथ्यो से यह स्पष्ट है कि इस मामले में घटना के दो महीने 24 दिन के विलंब से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी थी, जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। अभियोजन द्वारा तर्क दिया गया कि प्रस्तुत मामले में विभागीय जांच होने के उपरान्त प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी है। इस संबंध में इस मामले में प्रस्तुत किये गये साक्ष्य को विचार में लिया जाये, तो समिति द्वारा जांच आख्या कागज संख्या 14अ/1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि जांच समिति 21.09.2021 एवं 22.09.2021 के क्रम में जांच समिति गठित की गयी थी, जिसने अपनी रिपोर्ट दिनांक 24.09.2021 को तैयार कर दी थी। ऐसी परिस्थितियों में जब घटना दिनांक 05.07.2021 की बतायी गयी हो, तो भी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने में 2 माह 24 दिन का विलंब प्रतीत होता है। इस तरह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने में किये गये विलंब से मामला संदिग्ध प्रतीत होता है।

34. प्रथम सूचना रिपोर्ट की तहरीर प्रदर्श क-1 में यह उल्लिखित है कि ''इस

संबंध में नगरीय मलेरिया इकाई के प्रभारी डा० वी०के० श्रीवास्तव से दिनांक 05.07.2021 को घर पर जाकर मिला और उन्हें पैसे की अवैध वसूली के संबंध में जानकारी दी तो डी०एम०ओ० ने कहा कि कार्यालय जाकर कुछ धनराशि कम करा देंगे।'' इस संबंध में तहरीर प्रदर्श क-1 में नीचे ''बिन्दु नं० 1- पर वह दिनांक 05-07-2021 को भी डॉ० वी०के० श्रीवास्तव को अवैध वसूली के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि आफिस में आकर मिलो। कुछ अवैध वसूली कम करा देंगे। वीडियो फुटेज-1

35. तहरीर प्रदर्श क-1 में उल्लिखित उपरोक्त तथ्यों के संबंध में यह उल्लिखित किया जाना न्यायोचित है कि इस मामले में अभियोजन ने वादी द्वारा दिनांक 05.07.2021 को मिलने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं किया है।

36. इस मामले में यह भी उल्लिखत किया जाना न्यायोचित है कि तहरीर प्रदर्श क-1 में अंत में उल्लिखित है कि ''श्रीमान जी अभी तक उसके द्वारा डी०एम०ओ० साहब के आदेश पर 15,000/- रूपये लिपिक श्री सुरेन्द्र शर्मा को उसके पश्चात 5,000/- रूपये भूपेन्द्र चपरासी को दिये और 14,000/- रूपये श्री निर्देशपाल वरिष्ठ लिपिक को दिये।'' साक्ष्य के रूप में वीडियो फूटेज संलग्न है।

37. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि तहरीर प्रदर्श क-1 उल्लिखित है कि दिनांक 05.07.2021 को डी.एम.ओ. से मिला और डी.एम.ओ. ने उससे कहा कि कुछ रिश्वत के रूपये कम करा देगा तथा डी.एम.ओ. के कहने पर वह अभियुक्तों को रूपये दिया। इस तथ्य के संबंध में वादी अभियोजन साक्षी संख्या 01 के रूप में परीक्षित होते हुए अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि "अपने अभिलेख जमा करने के बाद कार्यालय के संबंधित बाबू कुलवन्त से मिला था, तो उन्होंने उससे कहा था कि आपका भुगतान समय से हो जायेगा। इसके बाद वह कार्यालय के बाबू सुरेन्द्र से मिला था। उन्होंने भी समय से भुगतान के लिये कह दिया था। फिर भी वह अपना भुगतान सुनिश्चित करने के लिये दिनांक 05.07.2021 को अपने जिला मलेरिया अधिकारी श्री वी.के. श्रीवास्तव से मिला था, तो उन्होंने भी उसका भुगतान समय से कराने का आश्वासन दे दिया था।" अग्रेतर मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "उसने हाजिर अदालत अभियुक्तगण सुरेन्द्र, निर्देशपाल एवं भूपेन्द्र द्वारा कभी भी उसकी पेंशन संबंधित भुगतान के लिये किसी रिश्वत के पैसे की मांग नहीं की गयी थी, न ही उसने सुरेन्द्र शर्मा को 15,000/-रूपये, भूपेन्द्र को 5,000/-रूपये व निर्देशपाल को 14,000/-रूपये रिश्वत में दिये थे।" इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में पुनः कथन किया है कि "यह कहना भी गलत है कि उसकी शिकायत पर वी.के. श्रीवास्तव ने कहा हो कि वो बाबू से मिल ले, वे कुछ पैसे कम करा देंगे।" अग्रेतर जिरह में कथन किया है कि यह कहना गलत है कि उसने डी.एम.ओ. के आदेश पर लिपिक सुरेन्द्र शर्मा को 15,000/-रूपये, चपरासी भूपेन्द्र को 5,000/-रूपये तथा वरिष्ठ लिपिक निर्देशपाल को 14,000/-रूपये रिश्वत के रूप में दिये हों"। अभियुक्त द्वारा इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा किये जाने पर इस साक्षी ने कथन किया है कि "यह कहना सही है कि मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमें

से संबंधित जो भी लिखा-पढ़ी हुई है, वह मेरे सामने नहीं हुई।" उपरोक्त वादी द्वारा साक्ष्य में दिये गये कथनों से पूर्णतः तहरीर के कथन विरोधाभासी हो जाते हैं। यहां यह भी उल्लिखित किया जाना न्यायोचित है कि तहरीर प्रदर्श क-1 में यह उल्लिखित है कि "कार्यालय के संबंधित बाबूजी से उसने कहा कि उसकी सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले सभी भुगतान शीघ्र कराये जाये। जब कार्यालय के लिपिक श्री कुलवन्त बाबूजी ने कहा कि सुरेन्द्र शर्मा हमारे कार्यालय में लिपिक का कार्य करते हैं, उनसे जाकर मिले।" इस मामले में बाबू कुलवन्त सिंह को पी०डब्लू० 6 के रूप में परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि "उसने सतेन्द्र से नहीं कहा था कि वह अपनी पत्रावली को पूर्ण कराने के लिये सुरेन्द्र शर्मा, लिपिक, डी.एम.ओ. कार्यालय से मिले।" इस साक्षी के तथ्य से भी तहरीर प्रदर्श क-1 में बाबू कुलवन्त के संबंध में उल्लिखित तथ्य संदिग्ध हो जाता है। इसके अलावा चिक एफ.आई.आर. प्रदर्श क-5 का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में डी.एम.ओ. डॉ० वी.के. श्रीवास्तव भी नामजद अभियुक्त हैं, परन्तु उनके विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित नहीं है। साक्षी संख्या 05 टीटू सिंह जिला प्रशासनिक अधिकारी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "जांच के बाद हम तीनों जांच समिति के सदस्यों ने डॉ० वी.के. श्रीवास्तव, जिला मलेरिया अधिकारी एवं कुलवन्त सिंह को दोषी नहीं पाया था।" इस मामले में विवेचक द्वारा भी डी.एम.ओ. के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित नहीं किया है। उपरोक्त समस्त साक्ष्य के विवेचना से स्पष्ट है कि तहरीर प्रदर्श क-1 में उल्लिखित तथ्यों के विपरीत अभियोजन द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षी पी०डब्लू० 1 एवं पी०डब्लू० 6 ने साक्ष्य दिया है। इस तरह तहरीर के कथनों को अभियोजन साबित करने में असफल रहा है, जिससे तहरीर प्रदर्श क-1 की सत्यता संदिग्ध हो जाती है।

38. अभियुक्तगण की तरफ से यह भी तर्क दिया गया है कि प्रस्तुत मामले में धारा 7 भ्र०नि०अधि० का आरोप लगाया गया है, परन्तु अभियोजन द्वारा यह साबित नही किया गया है कि अभियुक्तो ने वादी मुकमदा से कोई अवैध धनराशि उत्कोच के रूप में मांगा हो और अभियुक्तों ने उसे स्वीकार किया हो। इस तरह इस मामले में धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के आवश्यक तत्व प्रस्ताव व स्वीकृति का अभाव है। वादी मुकदमा सतेन्द्र सिंह पी०डब्लू० 1 के रूप में परीक्षित होते हुए अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि हाजिर अदालत अभियुक्तगण सुरेन्द्र, निर्देशपाल एवं भूपेन्द्र द्वारा कभी भी उसकी पेंशन संबधी भुगतान के लिए किसी रिश्वत के पैसे की मांग नहीं की गयी थी। न ही उसने सुरेन्द्र शर्मा को 15,000/- रूपये, भूपेन्द्र को 5,000/- रूपये व निर्देशपाल को 14,000/- रूपये रिश्वत में दिये थे। उसने कोई वीडियो फुटेज भी किसी पुलिस अधिकारी को नही दी थी। उसने अभियुक्तगण के विरुद्ध कभी कोई प्रार्थना पत्र नही दिया था। इस मामले में अभियोजन द्वारा जिस तहरीर व वीडियो फुटेज के आधार पर अभियुक्तगणो के विरुद्ध मुकदमा दर्ज होकर विवेचना के पश्चात आरोप पत्र प्रेषित किया गया है उसे वादी मुकदमा ने इंकार किया है और जिरह में यह अभिकथन किया

है कि तहरीर उसके हाथ कि लिखी नही है। 161 द०प्र०सं० के बयान को पुलिस अधिकारी के समक्ष देने से इंकार किया है। इस साक्षी ने अपने जिरह में यह भी स्वीकार किया है कि उसने पेनड्राइव/सीडी तैयार करने के संबंध में कोई प्रमाण पत्र पुलिस को दिया जाना गलत है। इस तरह इस मामले में धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के आवश्यक तत्व प्रस्ताव व स्वीकृति का अभाव है।

39. बचाव पक्ष द्वारा उक्त तर्कों के आधार पर अभियुक्त को बरी करने की याचना की गयी है।

40. बचाव पक्ष द्वारा **Dashrath Singh Chauhan Vs. Central Bureau of Investigation, 2019 AIAR (Criminal) 19** सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था उपलब्ध करायी गयी है जिसमें अभिनिर्धारित किया है किः- Since In order to attract the rigors of Section 7, 13(2) r/w Sec. 13(1)(d) of the Act,the prosecution is under a legal obligation to prove the twin requirements of "Demand and Acceptance of bribe money by the accused" The proving of one alone but not the other is not sufficient. The appelant is therefore, entitled for acquittal form the charges framed against him under the P.C. Act.

41. अभियोजन द्वारा उपरोक्त के संबंध में यह तर्क प्रस्तुत किया है कि अभियुक्तो के विरुद्ध विभागीय जांच होने के पश्चात यह पाया गया था कि अभियुक्तो ने वादी मुकदमा के पेंशन संबंधित भुगतान के संबंध में अवैध धनराशि प्राप्त की गयी है जिसका वीडियो फुटेज वादी मुकमदा ने अपनी तहरीर प्रदर्श क-1 के साथ प्रस्तुत किया था जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इस तरह से यह साबित है कि अभियुक्तो ने वादी मुकदमा को पेंशन दिलाये जाने हेतू अवैध रूप से धनराशि प्राप्त की गयी थी, जिससे धारा 7 भ्र०नि०अधि० का आरोप बखूबी साबित होता है।

42. इस मामले में अभियुक्तगणों के विरुद्ध धारा 7 भ्र०नि०अधि० का आरोप विरचित किया गया है, जिसमें यह उल्लिखित किया गया है कि "दिनांक 05.07.2021 को किसी समय पर थाना क्षेत्र कोतवाली शहर जिला बुलन्दशहर में आप सुरेन्द्र शर्मा लिपिक, मलेरिया इकाई, निर्देशपाल लिपिक सी०एम०ओ० कार्यालय व भूपेन्द्र सिंह चपरासी सी०एम०ओ० कार्यालय लोक सेवक के पद पर रहते हुए वादी मुकदमा सतेन्द्र सिंह से उसके रिटायर हो जाने पर पेंशन आदि लाभ दिलाये जाने हेतु (अभियुक्त सुरेन्द्र शर्मा ने अंकन 15000/- रूपये, निर्देशपाल ने अंकन 14000/- रूपये व अभियुक्त भूपेन्द्र सिंह ने 5000/- रूपये) कुल अंकन 34,000/- रूपये उत्कोच के रूप में प्राप्त किये। इस प्रकार आपने अपने आपको असम्यक् लाभ अभिप्राप्त किया है। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया जो धारा-7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अधीन दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।"

43. यहां पर धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधान का उल्लेख किया जाना न्यायोचित है -

लोक सेवक को रिश्वत दिये जाने से संबंधित अपराध- ऐसा कोई लोक सेवक जो-

(क) - किसी व्यक्ति से इस आशय से कोई असम्यक लाभ अभिप्राप्त करता है या प्रतिगृहीत करता है या अभिप्राप्त करने का प्रयास करता है। चाहे वह स्वयं या अन्य किसी लोक सेवक द्वारा किसी लोक कृतव्य का कार्यपालन अनुचित रूप से या बेइमानी से किया जाए या करवाया जाए या ऐसे कर्तव्य के कार्यपालन को पूरा न किया जाए या न करवाया जाए; या

(ख) किसी लोक कर्तव्य का कार्यपालन अनुचित रूप से या बेईमानी से, चाहे स्वयं के द्वारा या किसी अन्य लोक सेवक द्वारा करने या करवाने या ऐसे कर्तव्य के कार्यपालन को पूरा न करने या न करवाने के लिए किसी व्यक्ति से किसी इनाम के रूप में कोई असम्यक् लाभ अभिप्राप्त करता है या प्रतिगृहीत करता है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है; या

(ग) किसी लोक कर्तव्य का अनुचित रूप से या बेईमानी से कार्यपालन करता है या किसी अन्य लोक सेवक को किसी लोक कर्तव्य का अनुचित रूप से या बेईमानी से कार्यपालन करने हेतु प्रेरित करता है या किसी व्यक्ति से कोई असम्यक् लाभस्वीकार करने के परिणामस्वरूप या उसकी प्रत्याशा में ऐसे कर्तव्य का कार्यपालन करने से प्रविरत रहता है; या वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो सात वर्ष की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

स्पष्टीकरण 1.- इस धारा के प्रयोजन के लिए, किसी असम्यक् लाभ को अभिप्रात करने, प्राप्त करने के लिए सहमत होने, प्रतिगृहीत करने या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करने से ही लोक सेवक द्वारा लोक कर्तव्य का पालन स्वयं अपराध का गठन करेगा, चाहे लोक सेवक द्वारा उसका कार्यपालन अनुचित रहा हो या न रहा हो।

दृष्टान्त. - एक लोक सेवक 'एस' एक व्यक्ति, 'पी' से उसके नेमी राशन कार्ड आवेदन को समय से प्रक्रिया में लाने के लिए पांच हजार रुपए की रकम उसे देने को कहता है। 'एस' इस धारा के अधीन अपराध का दोषी है।

स्पष्टीकरण 2.- इस धारा के प्रयोजन के लिए, -

(i) "अभिप्राप्त करता है" या "प्रतिगृहीत करता है" या "अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है" पदों में ऐसे भामले सम्मिलित होंगे, जहां ऐसा कोई व्यक्ति जो लोक सेवक होते हुए, स्वयं के लिए या किसी व्यक्ति के लिए लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करके या किन्हीं अन्य भष्ट या अवैध साधनों के द्वारा कोई असम्यक् लाभ अभिप्राप्त करता है या "प्रतिगृहीत करता है" या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है।

(ii) इस बात का कोई महत्व नहीं होगा कि ऐसा व्यक्ति लोक सेवक होते हुए वह असम्यक् लाभ सीधे या पर पक्षकार के माध्यम से अभिप्राप्त करता है या प्रतिगृहीत करता है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है।

44. उपरोक्त तर्को के संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस मामले में तहरीर प्रदर्श क-1 में यह उल्लिखित है कि

वादी मुकदमा अपनी सेवानिवृत्ति दिनांक 31.07.2021 के एक महीने पूर्व पेंशन का भुगतान प्राप्त किये जाने हेतू आवश्यक दस्तावेज कार्यालय में जमा कर दिये थे, ताकि समय से भुगतान मिल सके। इस संबंध में कार्यालय के संबंधित लिपिक से मिला था। कार्यालय के लिपिक श्री कुलवंत ने इससे कहा था कि श्री सुरेन्द्र शर्मा उसके कार्यालय में लिपिक का कार्य करते है, उनसे जाकर मिलें। जिसके पश्चात वह सुरेन्द्र शर्मा से संपर्क किया। सुरेन्द्र शर्मा द्वारा बताया गया है कि उनके कार्यालय में बिना पैसे के कोई कार्य नहीं होता है। जिसके बाद वादी मुकदमा नगरीय मलेरिया इकाई के प्रभारी डा० बी०के० श्रीवास्तव से दिनांक 05/07/21 को घर जाकर मिला और उन्हे पैसे के अवैध वसूली के संबंध में जानकारी दी तो उन्होने कहा कि कार्यालय में जाकर कुछ धनराशि कम करा देंगे। वादी ने इस तहरीर में यह भी उल्लिखित है कि DMO और बाबू के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से अवैध वसूली करने हेतु एक गैंग तैयार किया गया है। इसी प्रकार CMO कार्यालय में श्री निर्देशपाल एवं श्री भूपेन्द्र सिंह चपरासी भी योजना बद्ध तरीके से गैर वसूली करते है। यह गैंग परेशान करके लोगों से अवैध धनराशि के लिए मजबूर करते है।

45. तहरीर प्रदर्श क-1 में सबसे अन्त में यह उल्लिखित है कि "श्रीमान अभी तक मेरे द्वारा डी.एम.ओ. साहब के आदेश पर 15,000/-रूपये लिपिक श्री सुरेन्द्र शर्मा को, इसके पश्चात् 5,000/-रूपये भूपेन्द्र सिंह चपरासी को दिये और 14,000/-रूपये श्री निर्देशपाल वरिष्ठ लिपिक को दिये।"

46. तहरीर प्रदर्श क-1 के संबंध में उपरोक्त तथ्यों के संबंध में यह उल्लिखित किया जाना न्यायोचित है कि अभियोजन द्वारा डी.एम.ओ. डॉ० वी.के. श्रीवास्तव तथा बाबू कुलवन्त की इस मामले में किसी भी प्रकार की संलिप्तता साबित नहीं कर पाया है। विवेचना में डॉ० वी.के. श्रीवास्तव के विरूद्ध कोई आरोप नहीं पाया गया है। इस तरह से तहरीर प्रदर्श क-1 में यह उल्लिखित तथ्य कि वादी ने डी.एम.ओ. के कहने पर अभियुक्तगण को रिश्वत के रूपये दिये, पूर्णतः संदिग्ध हो जाता है। जहां तक रिश्वत के रूपये अभियुक्तों को दिये जाने का संबंध है, तो वादी पी०डब्लू० 1 के रूप में परीक्षित होते हुए अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "उसने हाजिर अदालत अभियुक्तगण सुरेन्द्र, निर्देशपाल एवं भूपेन्द्र द्वारा कभी भी उसकी पेंशन संबंधित भुगतान के लिये किसी रिश्वत के पैसे की मांग नहीं की गयी थी, न ही उसने सुरेन्द्र शर्मा को 15,000/-रूपये, भूपेन्द्र को 5,000/-रूपये व निर्देशपाल को 14,000/-रूपये रिश्वत में दिये थे।" इस साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अभियोजन द्वारा जिरह करने पर पुनः वादी ने कथन किया है कि "यह कहना गलत है कि हाजिर अदालत अभियुक्तगण निर्देशपाल, सुरेन्द्र एवं भूपेन्द्र ने उसकी पेंशन बनाने की एवज में उससे रिश्वत के रूप में पैसा मांगा हो"। अग्रेतर जिरह में कथन किया है कि "यह कहना गलत है कि उसने डी.एम.ओ. के कहने पर लिपिक सुरेन्द्र को 15,000/-रूपये चपरासी भूपेन्द्र को 5,000/-रूपये तथा वरिष्ठ लिपिक निर्देशपाल को 14,000/-रूपये रिश्वत के रूप में

दिये हों।" इस तरह से वादी मुकदमा ने ही स्पष्ट रूप से कथन किया है कि उसने अभियुक्तों को किसी प्रकार का कोई रिश्वत नहीं दिया था। इस साक्षी ने साक्ष्य में यह भी कथन किया है कि उससे अभियुक्तों ने रिश्वत के रूप में रूपये नहीं मांगे थे।

47. इस मामले में यह उल्लिखित किया जाना उचित है कि वादी मुकदमा ने पत्रावली में संलग्न कागज संख्या 11अ/1 ता 3 व 12अ/1 ता 3 पर अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त की है, जिस पर क्रमशः प्रदर्श क-3 व प्रदर्श क-4 डाला गया है। अभियोजन ने इन प्रपत्रों में उल्लिखित तथ्यों का उल्लेख वादी मुकदमा से मुख्य परीक्षा में नहीं करवाया है। मेरे द्वारा पत्रावली में संलग्न कागज संख्या 11अ/1 का अवलोकन किया गया। इस प्रपत्र में सबसे ऊपर "बयान" शब्द उल्लिखित है। इसके अतिरिक्त "प्रेषक"- सतेन्द्र सिंह, सेवानिवृत्त, आई.एफ.डब्लू. नगरी बरेलिया इकाई बुलंदशहर" तथा "सेवा में एडिशनल एस.पी. बुलन्दशहर" एवं विषय में "प्रार्थी के द्वारा नगर कोतवाली, बुलन्दशहर में मुख्य चिकित्साधिकारी को कार्यालय लिपिकों, कर्मचारियों व जिला मलेरिया अधिकारी, बुलन्दशहर के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट में जांच पर भ्रष्टाचार एवं अवैध वसूली के संबंध में साक्ष्य एवं अपना बयान आपके सम्मुख प्रस्तुत करने के संबंध में" उल्लिखित है। सम्पूर्ण प्रपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि संक्षेप में इसमें अभियुक्तगण को रिश्वत दिये जाने के संबंध में विस्तृत रूप से उल्लिखित किया गया है, जिसे विवेचक अपनी केस डायरी में धारा 161द०प्र०स०ं के बयान के रूप में उल्लिखित किया है। यहां पर यह उल्लिखित किया जाना न्यायोचित है कि धारा 161द०प्र०सं० के बयान के आधार पर किसी अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। अभियुक्त को दोषसिद्धि के लिये समक्ष न्यायालय साक्षियों से अभियोजन को उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप को साबित कराना होता है। इस मामले में पी०डब्लू० 1 वादी मुकदमा सतेन्द्र ने अपनी मुख्य परीक्षा में केवल प्रपत्र कागज संख्या 11अ/1 ता 3 के ऊपर अपने हस्ताक्षर को स्वीकार किया है। मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "सी.एम.ओ. साहब ने अपने यहां बुलाया था। वहां पर एक पुलिस अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने भी उससे कुछ कोरे कागजात पर हस्ताक्षर कराये थे।" इस साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया। अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षा की गयी है। प्रतिपरीक्षा के दौरान इस साक्षी को धारा 161द०प्र०सं० का बयान पढ़कर सुनाया गया, तो इसने कहा कि उसने लिखित रूप में या मौखिक रूप में किसी पुलिस अधिकारी को कोई बयान नहीं दिया था। अगर पत्रावली पर ऐसा कोई बयान मौजूद है, तो वह इसकी वजह नहीं बता सकता। इस तरह से वादी मुकदमा ने पत्रावली में संलग्न कागज संख्या ११अ/१ ता ३ को अपने द्वारा पुलिस अधिकारी को दिये जाने से इंकार किया है। इसके संबंध में अभियोजन द्वारा जिरह किये जाने पर भी ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं कराया गया है, जिससे अभियुक्तगण के विरूद्ध विरचित आरोप साबित हो सके। इसके अतिरिक्त वादी मुकदमा पी०डब्लू० 1 के रूप में अपनी प्रतिपरीक्षा में अग्रेतर कथन किया है कि "यह कहना गलत है कि हाजिर अदालत अभियुक्तगण निर्देशपाल, सुरेन्द्र एवं भूपेन्द्र ने उसकी पेंशन

बनाने की एवज में उससे रिश्वत के रूप में पैसा मांगा हो।" इसी तरह अग्रेतर प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि "यह कहना गलत है कि उसने डी.एम.ओ. के कहने पर लिपिक सुरेन्द्र को 15,000/-रूपये चपरासी भूपेन्द्र को 5,000/-रूपये तथा वरिष्ठ लिपिक निर्देशपाल को 14,000/-रूपये रिश्वत के रूप में दिये हों।" प्रतिपरीक्षा में पुनः यह कथन किया है कि "यह कहना गलत है कि उसने अपर पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर एवं सी.एम.ओ. को कोई टाईपशुदा बयान अपने हस्ताक्षर करके दिये हों" वादी से अभियुक्त की ओर से भी प्रतिपरीक्षा की गयी है, जिसमें कथन किया है कि "यह कहना सही है कि मुल्जिमान के विरूद्ध मुकदमें से संबंधित जो भी लिखा-पढ़ी हुई है, वह मेरे सामने नहीं हुई है।"

48. इस मामले में एकमात्र स्वतन्त्र साक्षी पी०डब्लू० 6 के रूप में डी.एम.ओ. कार्यालय के बाबू कुलवन्त सिंह को अभियोजन द्वारा परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में तहरीर प्रदर्श क-1 में उल्लिखित यह तथ्य कि "कार्यालय के लिपिक कुलवन्त बाबूजी ने कहा कि श्री सुरेन्द्र शर्मा हमारे कार्यालय में लिपिक का कार्य करते हैं। उनसे जाकर मिलो, तो वह सुरेन्द्र शर्मा से सम्पर्क स्थापित किया, तो उनके द्वारा बताया गया कि उनके कार्यालय में बिना पैसे के कोई कार्य नहीं होता।" इस तथ्य के सन्दर्भ में इस साक्षी ने अपनी साक्ष्य में यह कथन किया है कि "उसने सतेन्द्र से नहीं कहा था कि वह अपनी पत्रावली को पूर्ण कराने के लिये सुरेन्द्र शर्मा, लिपिक, डी.एम.ओ. कार्यालय से जाकर मिले।" अग्रेतर मुख्य परीक्षा में इस साक्षी ने अभियुक्तों द्वारा वादी मुकदमा सतेन्द्र की पत्रावली पूर्ण कराने के लिये सतेन्द्र से रिश्वत के रूप में पैसे लिये जाने के तथ्य से अनभिज्ञता प्रदर्शित किया है। इस साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। जिरह में अभियोजन द्वारा इस साक्षी के बयान अन्तर्गत धारा 161 द०प्र०सं० को पढ़कर सुनाया गया, तो इस साक्षी ने कथन किया है कि "इसमें मेरा कुछ बयान सही लिखा है तथा कुछ बयान गलत लिखा है।" यह भी स्वीकार किया है कि "यह कहना सही है कि इस घटना से संबंधित मुकदमें की उसे कोई जानकारी नहीं है।" इस तरह इस साक्षी से घटना के संबंध में कोई तथ्य प्रकट अभियोजन द्वारा नहीं कराया जा सका है। इस प्रकार वादी मुकदमा पी०डब्लू० 1 एवं साक्षी संख्या 06 के साक्ष्य में अभियुक्तों द्वारा रिश्वत के रूप में रूपये मांगने और स्वीकार करने के तथ्य को अभियोजन साबित करने में असफल रहा है।

49. इस मामले में पत्रावली में संलग्न कागज संख्या 12अ/1 ता 3 का उल्लेख किया जाना आवश्यक है, जिस पर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर को तस्दीक किया है। इस प्रपत्र पर प्रदर्श क-5 डाला गया है। इस प्रपत्र का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि इसमें "प्रेषक- सतेन्द्र सिंह सेवानिवृत्त, आई.एफ.डब्लू. नगरीय मलेरिया इकाई बुलन्दशहर, सेवा में श्रीमान मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय बुलन्दशहर तथा विषय में सतेन्द्र सिंह, सेवानिवृत्त, आई.एफ.डब्लू. नगरीय मलेरिया इकाई, बुलन्दशहर से अवैध वसूली के उपरान्त भी सम्पूर्ण भुगतान न किये जाने के संबंध में" उल्लिखित है। इस प्रपत्र के

सम्पूर्ण अवलोकन से स्पष्ट है कि इसमें संक्षेप में वादी द्वारा अभियुक्तों को रिश्वत के रूप में रूपये लिये जाने का उल्लेख किया है। परन्तु यहां पर यह उल्लेख किया जाना उचित है कि वादी मुकदमा पी०डब्लू० 1 के रूप में परीक्षित होते हुए अपनी मुख्य परीक्षा में एवं जिरह में स्पष्ट रूप से अभियुक्तों द्वारा रूपये मांगने व स्वीकार करने के तथ्य से इंकार कर दिया है। कागज संख्या 12अ/1 ता 3 प्रदर्श क-5 के संबंध में मुख्य परीक्षा में इस प्रपत्र पर अपने हस्ताक्षर को स्वीकार किया है, परन्तु मुख्य परीक्षा में ही यह कथन किया है कि "**इसके बाद सी.एम.ओ. साहब ने अपने यहां बुलाया था। वहां पर एक पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। उन्होंने भी उससे कुछ कोरे कागजात पर हस्ताक्षर कराये थे।**" जिरह में यह भी कथन किया है कि "**यह कहना भी गलत है कि उसने अपर पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर व सी.एम.ओ. को कोई टाईपशुदा बयान अपने हस्ताक्षर करके दिये हों।**" अभियुक्त की तरफ से जिरह किये जाने पर पुनः कथन किया है कि "**यह कहना सही है कि मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमें से संबंधित जो भी लिखा-पढ़ी हुई है, वह मेरे सामने नहीं हुई है।**" इस तरह से इस मामले में वादी मुकदमा ने अभियुक्तों के विरूद्ध किसी भी लिखा-पढ़ी को अपने सामने होने से इंकार कर दिया है। यहां पर यह उल्लिखित किया जाना उचित है कि उपरोक्त साक्षी के कथनों से यह प्रदर्शित हो रहा है कि उसने सी.एम.ओ. को टाईपशुदा बयान अपने हस्ताक्षर करके दिये जाने के तथ्य से इंकार कर दिया है, जिससे पत्रावली में संलग्न सी.एम.ओ. को संबंधित टाईपशुदा प्रपत्र कागज संख्या 12अ/1 ता 3 प्रदर्श क-5 संदिग्ध हो जाता है।

50. प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण द्वारा वादी से रिश्वत मांगने व स्वीकार किये जाने के संबंध में विभागीय जांच भी की गयी है। विभागीय जांच की आख्या पत्रावली में कागज संख्या 14अ/1 प्रदर्श क-7 के रूप में संलग्न है, जिसे पी०डब्लू० 3, पी०डब्लू० 4, पी०डब्लू० 5 व पी०डब्लू० 7 ने साबित किया है। इसके संबंध में भी वर्णन किया जाना उचित है।

51. अभियोजन साक्षी संख्या 7 के रूप में परीक्षित होते हुए सी.एम.ओ. बुलन्दशहर डॉ० विनय कुमार सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "सतेन्द्र सिंह सेवानिवृत्ति का एक प्रार्थना पत्र, जो अवैध वसूली तथा सेवानिवृत्ति के उपरान्त सम्पूर्ण भुगतान ना किये जाने के संबंध में था, उसे प्राप्त हुआ था। उपरोक्त जांच के संबंध में उसके द्वारा जांच कमेटी गठित की गयी थी। उक्त कमेटी द्वारा उसे जांच आख्या प्रेषित की गयी थी। जांचोपरान्त कमेटी द्वारा अपनी आख्या प्रेषित की गयी थी, जिसमें निर्देशपाल प्रधान सहायक, श्री सुरेन्द्र शर्मा एस.एफ.डब्लू. एवं श्री भूपेन्द्र सिंह चपरासी पर लगाये गये आरोप साक्ष्यों के आधार पर सही प्रतीत होना अंकित था तथा जांच आख्या में आरोपीगण के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी थी। पत्रावली पर जांच आख्या कागज संख्या 14अ/1 ता 2 के रूप में मौजूद है, जो मेरे द्वारा इस अभियोग के विवेचक को प्रदान की गयी थी।"

52. अभियोजन द्वारा जांच कमेटी के सदस्य को पी०डब्लू० 3, पी०डब्लू० 4

एवं पी०डब्लू० 5 के रूप में परीक्षित कराया गया है। पी०डब्लू० 3 के रूप में परीक्षित होते हुए डॉ० रोहताश कुमार यादव ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि शिकायतकर्ता सतेन्द्र सिंह सेवानिवृत्त नगरीय मलेरिया इकाई बुलन्दशहर द्वारा मुख्य विकास अधिकारी बुलंदशहर को एक लिखित शिकायत (टाईपशुदा पत्र) अवैध वसूली के उपरान्त भी सम्पूर्ण भुगतान ना किये जाने के संबंध में प्रेषित किया था, जिसके आधार पर सी.एम.ओ. साहब ने जांच कमेटी गठित की थी, जिसमें वह स्वयं, डॉ० सुनील कुमार ए.सी.एम.ओ. तथा टीटू सिंह प्रशासनिक अधिकारी को शिकायती पत्र के साथ संलग्न ऑडियो-वीडियो क्लिप, जो एक पैनड्राईव में उपलब्ध थी, की भी जांच की गयी थी। तीनों जांच अधिकारियों द्वारा पैनड्राईव में पायी गयी क्लिप को देखने पर तथा मुल्जिमान सुरेन्द्र, भूपेन्द्र व निर्देशपाल एवं डॉ० वी.के. श्रीवास्तव मलेरिया अधिकारी से भी बातचीत तथा पूछताछ की थी। वीडियो क्लिप देखने के बाद सुरेन्द्र शर्मा (एस.एफ.डब्लू.) रूपये लेते हुए, गिनते हुए स्पष्ट दिखायी दे रहे थे। सुरेन्द्र शर्मा ने अपना लिखित बयान में रूपयों को उधार होना बताया था तथा उक्त उधार के रूपयों को वापस लेना बताया था। इसी तरह चपरासी भूपेन्द्र सिंह तथा प्रधान सहायक निर्देशपाल भी वीडियो फुटेज में रूपये लेते हुए, गिनते हुए दिखायी दे रहे थे। इन दोनों ने भी अपने लिखित बयान में उक्त रूपयों को उधार के होना तथा उसी उधार के रूपयों को वापस लेना बताया था। साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्टया सही पाये गये तथ्यों की तीनों लोगों द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण से जांच कमेटी सहमत नहीं थी एवं वीडियो फुटेज में सुनायी दे रही आवाज अभियुक्तगण द्वारा दिये गये लिखित बयान के अनुरूप या समान नहीं थे। जांच के उपरान्त अभियुक्तों के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं विभागीय कार्यवाही हेतु संस्तुति की गयी। इस साक्षी ने पत्रावली में संलग्न जांच आख्या कागज संख्या 14अ/1 ता 2 को देखकर अपने हस्ताक्षर की तस्दीक किया है, जो फोटोकॉपी के रूप में पत्रावली में दाखिल है, जिसे सी.एम.ओ. बुलंदशहर द्वारा सत्यापित किया गया है। अभियुक्त द्वारा जिरह किये जाने पर इस साक्षी ने कथन किया है कि जांच आख्या में अभियुक्तगण के विरूद्ध वादी सतेन्द्र सिंह द्वारा उपलब्ध करायी गयी वीडियो फुटेज एवं सी.एम.ओ. को द्वारा दिये गये शिकायती पत्र के आधार पर प्रस्तुत की थी। वादी सतेन्द्र सिंह के कोई मौखिक बयान दर्ज नहीं किये थे। वीडियो फुटेज की पैनड्राईव सी.एम.ओ. के निर्देशन पत्र के साथ प्राप्त हुई थी। इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि **"वादी द्वारा जांच कमेटी को पैनड्राईव के संबंध में लिखित रूप में ऐसा कोई प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया था, जिससे यह प्रमाणित हो कि यह उसके द्वारा तैयार की गयी थी।"** यह साक्षी यह भी स्वीकार किया है कि जांच कमेटी द्वारा कार्यालय में उपस्थित अन्य कर्मचारीगण से कोई पूछताछ नहीं की गयी थी। **जांच कमेटी द्वारा जांच आख्या में वादी एवं अभियुक्तगण के मध्य हुई वार्ता के संबंध में वार्तालाप का विवरण अंकित नहीं किये जाने का भी कथन किया है।** पी०डब्लू० 4 डॉ० सुनील कुमार ने भी साक्षी पी०डब्लू० 3 डॉ०रोहताश कुमार यादव की

मुख्य परीक्षा के कथनों का समर्थन किया है। अतिरिक्त तथ्यों के रूप में पत्रावली में संलग्न जांच आख्या कागज संख्या 14अ/1 ता 2 को तस्दीक किया है, जिस पर प्रदर्श क-7 डाला गया है। जिरह में इस साक्षी ने कथन किया है कि **सतेन्द्र सिंह ने उन्हें यह नहीं बताया था कि जो वीडियो क्लिप पैनड्राईव में उपलब्ध करायी गयी थी, वह किसके द्वारा तैयार की गयी थी।** शेष जिरह में वही कथन है, जो पी०डब्लू० 3 से जिरह में आये हैं। पी०डब्लू० 5 के रूप में टीटू सिंह जिला प्रशासनिक अधिकारी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि जांच कमेटी में वह भी नामित था। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में उसी तरह के कथन किये हैं, जो कथन पी०डब्लू० 3 व पी०डब्लू० 4 ने किये हैं। केवल भिन्नता के रूप में मुख्य परीक्षा में अतिरिक्त कथन यह है कि **"उपरोक्त जांच के बाद हम तीनों जांच समिति के सदस्यों ने डॉ० वी.के. श्रीवास्तव जिला मलेरिया अधिकारी एवं कुलवन्त सिंह को दोषी नहीं पाया था।"** जिरह में इस साक्षी ने कथन किया कि शिकायतकर्ता का मौखिक बयान नहीं लिया गया था। शेष जिरह में पी०डब्लू० 3 व पी०डब्लू० 4 के कथनों के समान ही कथन किया है।

53. यहां पर यह उल्लिखित किया जाना उचित है कि जांच समिति द्वारा जो जांच आख्या तैयार की गयी है, उससे और जांच समिति के सदस्य पी०डब्लू० 3, पी०डब्लू० 4 व पी०डब्लू० 5 ने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि उससे स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता सतेन्द्र सिंह जांच समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ है। जांच समिति ने उसके अपने समक्ष कोई मौखिक अथवा लिखित बयान नहीं लिये थे। केवल सी.एम.ओ. के पास प्रेषित शिकायत प्रार्थना पत्र के आधार पर अभियुक्तगण के बयान तथा स्पष्टीकरण तथा पैनड्राईव में ऑडियो-वीडियो के आधार पर जांच किया जाना प्रदर्शित होता है। पत्रावली में जांच समिति के द्वारा अभियुक्तों के द्वारा दिये गये बयान के कोई प्रपत्र उपलब्ध नहीं है। जांच समिति के सदस्यों ने केवल यह निष्कर्ष निकाला है कि अभियुक्तों पर लगाये गये आरोप प्रथम दृष्ट्या सही पाये गये थे, क्योंकि उपरोक्त तीनों के द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण से जांच समिति सहमत नहीं थी। यहां पर उल्लिखित किया जाना न्यायोचित है कि पी०डब्लू० 7 के रूप में परीक्षित होते हुए सी.एम.ओ. डॉ० विनय कुमार सिंह ने यह कथन किया है कि जांच समिति का गठन शिकायतकर्ता द्वारा शिकायती प्रार्थना पत्र (टाईपशुदा) प्राप्त होने के पश्चात् प्रारम्भ हुई थी। जबकि वादी मुकदमा पी०डब्लू० 1 के रूप में परीक्षित होते हुए कथन किया है कि **"उसे सी.एम.ओ. साहब ने अपने यहां बुलाया था, वहां पर पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे, उन्होंने उसके कोरे कागज पर हस्ताक्षर कराये थे।" पी०डब्लू० 1 सतेन्द्र ने अभियुक्तों द्वारा रिश्वत के रूप में रूपये देने व लेने के तथ्य से इंकार किया है। यह भी कथन किया है कि उसने अभियुक्तों के विरूद्ध कभी कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया था।** जिरह में भी इस साक्षी ने कथन किया है कि उसने अपर पुलिस अधीक्षक व सी.एम.ओ. को कोई टाईपशुदा बयान अपने हस्ताक्षर करके नहीं दिये थे। इस तरह से वादी मुकदमा ने किसी प्रकार के शिकायती प्रार्थना पत्र दिये जाने के तथ्य से इंकार कर दिया है, ऐसा प्रतीत होता है

कि सम्पूर्ण जांच संभावनाओं की प्रधानता पर आधारित है। जांच समिति के समक्ष पैनड्राईव प्रस्तुत थी, उसकी सत्यता के संबंध में भी जांच समिति ने शिकायतकर्ता से कोई पूछताछ नहीं किया है। इसके अतिरिक्त जांच समिति द्वारा अभियुक्तों के विरूद्ध जो अनुशासनात्मक व विभागीय कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की है, उसके फलस्वरूप अभियुक्तों के विरूद्ध कोई कार्यवाही हुई अथवा नहीं, इस संबंध में भी अभियोजन कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया है। यहां पर यह भी उल्लिखित किया जाना न्यायोचित है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **State of Rajashthan v. Hem Singh AIR Online 2020 SC 795 29.10.2020** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि "**किसी आपराधिक अदालत द्वारा किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिये आवश्यक सबूत के मानक और अनुशासनात्मक कार्यवाही के माध्यम से की गयी जांच पूरी तरह से अलग है। एक आपराधिक मामले में अभियुक्त का अपराध स्थापित करने का दायित्व अभियोजन पक्ष पर होता है और यदि वह उचित संदेह से परे अपराध स्थापित करने में विफल रहता है, तो अभियुक्त को निर्दोष माना जाता है। यह स्थापित कानून है कि आपराधिक अदालत में अपराध स्थापित करने के लिये आवश्यक सबूत का सख्त बोझ अनुशासनात्मक कार्यवाही में आवश्यक नहीं है और संभावनाओं की प्रधानता पर्याप्त है। ऐसे मामले हो सकते हैं, जहां किसी व्यक्ति को तकनीकि पार्ट के कारणों से बरी कर दिया गया हो या अभियोजन पक्ष ने अन्य गवाहों को छोड़ दिया हो, क्योंकि कुछ अन्य गवाह मुकर गये थे आदि।**" उपरोक्त समस्त साक्ष्यों तथा तथ्यों के दृष्टिगत इस मामले में भी अभियोजन अपने कथानक को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है, इसलिये अभियोजन को विभागीय जांच के परिणामस्वरूप किसी प्रकार का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

54. इस मामले में अभियुक्तों द्वारा वादी से रिश्वत मांगने व स्वीकार करने के संबंध में वादी द्वारा दिये गये पैनड्राईव को आधार बनाकर आरोप साबित किये जाने का कथन किया है। इस संबंध में यह उल्लिखित किया जाना उचित है कि पत्रावली में संलग्न पैनड्राईव कागज संख्या 10अ, जो लिफाफे के रूप में संलग्न है, जिसमें दो पैनड्राईव रखी गयी है, जिस पर वस्तु प्रदर्श 1 डाला गया है, जिसकी औपचारिक सत्यता को अभियुक्त की ओर से स्वीकार किया गया है, परन्तु उसके तथ्य को अस्वीकार किया गया है। इस मामले में यह विचार किया जाना है कि क्या उपरोक्त पैनड्राईव के आधार पर अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप साबित होना माना जायेगा अथवा नहीं।

55. यहां पर इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को साक्ष्य में ग्राहयता के सम्बन्ध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दिये गये प्रावधानों का उल्लेख किया जाना न्यायोचित होगा।

56. **भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65–क** में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के साक्ष्य के सम्बन्ध में उल्लेख है कि **धारा 65 क– इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में सम्बन्धित साक्ष्य के बारे में विशेष प्रावधान–** इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तुयें धारा 65ख के प्रावधानों के अनुसार साबित की जा

सकेंगी।

57. **धारा 65 ख– इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता–** (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी चीज के होते हुए भी, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में अन्तर्विष्ट कोई सूचना, जो कागज पर मुद्रित है और कंप्यूटर द्वारा उत्पादित प्रकाशकीय या चुंबकीय माध्यम में भंडारित अभिलिखित या नकल की गई है (जिसे एतस्मिन् पश्चात कंप्यूटर उत्पादन के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा), दस्तावेज भी होना मानी जाएगी, यदि इस धारा में वर्णित शर्तों का समाधान प्रश्नगत सूचना और कंप्यूटर के संबंध में किया जाता है और किसी कार्रवाई में, किसी और सबूत या मूल को पेश किए बिना, मूल की किसी अंतर्वस्तु या उसमें अभिकथित किसी तथ्य के, जिसका प्रत्यक्ष साक्ष्य ग्राह्य होगा, साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगी।

(2) कंप्यूटर उत्पादन के संबंध में उपधारा (1) में निर्दिष्ट शर्ते निम्नलिखित होंगी, अर्थात–

(क) सूचना को अंतर्विष्ट करने वाले कंप्यूटर उत्पाद का उत्पादन कंप्यूटर द्वारा उस अवधि के दौरान किया गया था, जिसमें कंप्यूटर का नियमित प्रयोग कंप्यूटर के प्रयोग पर वैध नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति द्वारा उस अवधि में नियमित रुप में किए गए किसी क्रियाकलाप के प्रयोजन के लिए सूचना को भंडारित या संबंधित करने के लिए किया गया था।

(ख) उक्त अवधि के दौरान, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में अंतर्विष्ट प्रकार की सूचना या इस प्रकार की सूचना जिससे इस प्रकार अंतर्विष्ट सूचना प्राप्त की जाती है, नियमित रूप से उक्त क्रियाकलाप के सामान्य अनुक्रम में कंप्यूटर में भरी गई थी।

(ग) उक्त अवधि के तात्विक भाग के दौरान, कंप्यूटर समुचित ढंग से संचालित हो रहा था, या यदि संचालित नहीं हो रहा था, तब किसी ऐसी अवधि के संबंध में, जिसमें वह समुचित रूप में संचालित नहीं हो रहा था या अवधि के उस भाग के दौरान संचालन से बाहर था, ऐसा नहीं था जो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या उसकी अंतर्वस्तुओं की शुद्धता को प्रभावित करें और

(घ) इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में अन्तर्विष्ट सूचना उक्त क्रियाकलाप के सामान्य अनुक्रम में कम्प्यूटर में भरी गई ऐसी सूचना से पुनः उत्पादित की जाती है या व्युत्पन्न होती है।

धारा 65–ख (4) किसी कार्यवाही में, जहां इस धारा के परिणामस्वरुप साक्ष्य में कथन देने की वांछा की जाती है, निम्नलिखित चीजों में से किसी को करने वाला, अर्थात–

(क) इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को, जिसमें कथन अंतर्विष्ट है और उस ढंग का विवरण जिसमें इसका उत्पादन किया गया था, परिलक्षित (पहचान) करते हुए,

(ख) किसी युक्ति की, जो उस इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के उत्पादन बनाने में अंतर्ग्रस्त है, ऐसी विशिष्टियों को देते हुए, जो यह दर्शित करने के प्रयोजन के लिए समुचित हो कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का उत्पादन कंप्यूटर द्वारा किया गया था।

(ग) मामलों में से किसी पर, जिससे उपधारा 2 में वर्णित शर्तें संबंधित हैं, विचार करते हुए। प्रमाण पत्र को, जो सुसंगत युक्ति के संचालन के संबंध में उत्तरदायी पदीय स्थिति ग्रहण करने वाले

व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना तात्पर्यित है किसी मामले का, जो प्रमाण पत्र में अधिकथित है, साक्ष्य माना जाएगा और इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, यह उसे अधिकथित करने वाले व्यक्ति के सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास में अधिकथित किए जाने वाले मामले के लिए पर्याप्त होगा।

58. इस मामले में तहरीर प्रदर्श क-1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी मुकदमा ने तहरीर के अन्त में यह उल्लेख किया है कि "बिन्दु संख्या 01- वह दिनांक 05.07.2021 को डॉ० वी.के. श्रीवास्तव को अवैध वसूली के बारे में बताया, तो उन्होंने कहा कि ऑफिस में आकर मिलो, कुछ अवैध वसूली कम करा देंगे। वीडियो फुटेज-01, श्रीमान जी अभी तक उसके द्वारा डी.एम.ओ. साहब के आदेश पर 15,000/-रूपये लिपिक श्री सुरेन्द्र शर्मा को, उसके पश्चात् 5,000/-रूपये चपरासी को दिये और 14,000/-रूपये श्री निर्देशपाल वरिष्ठ लिपिक को दिये। साक्ष्य के रूप में वीडियो फुटेज संलग्न है।" इस तहरीर प्रदर्श क-1 के उल्लिखित तथ्य से स्पष्ट है कि वादी द्वारा अपने तहरीर के साथ वीडियो फुटेज संलग्न किये जाने के तथ्य को उद्धृरत किया है, परन्तु पी०डब्लू० 1 के रूप में वादी मुकदमा परीक्षित होते हुए उसने मुख्य परीक्षा में स्पष्ट रूप से किसी प्रकार के रिश्वत के रूप में अभियुक्तगण को रूपये दिये और लिये जाने के तथ्य से इंकार कर दिया है। यह साक्षी अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित हुआ है। जिरह में भी ऐसा कोई तथ्य अभियोजन द्वारा प्रकट नहीं करवाया जा सका है, जिससे यह साबित हो कि रिश्वत के रूपये अभियुक्तगण द्वारा मांगे गये हैं व लिये गये हैं। पैनड्राईव दिये जाने के संबंध में भी वादी मुकदमा ने जिरह में कथन किया है कि **"यह कहना गलत है कि उक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध अवैध वसूली के संबंध में एक वीडियो सी.डी./ पैनड्राईव तैयार करके पुलिस को दी गयी हो।" जिरह में इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि "यह कहना गलत है कि उसने पैनड्राईव/सी.डी. तैयार करने के संबंध में कोई प्रमाण पत्र पुलिस को दिया हो।"** इन तथ्यों से यह स्पष्ट है कि जिस पैनड्राईव के आधार पर अभियोजन द्वारा अभियुक्तों के विरूद्ध रिश्वत के रूपये मांगे जाने और लिये जाने का आरोप लगाया गया है, वह पूर्ण रूप से साबित करने में असफल हुआ है। तहरीर के विपरीत वादी मुकदमा ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है। इस तरह तहरीर और वादी मुकदमा के साक्ष्य के अभिकथन में घोर विरोधाभास है।

59. इस मामले में यह भी उल्लिखित किया जाना है कि पत्रावली में संलग्न कागज संख्या 8अ के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस पर "प्रमाण पत्र अन्तर्गत धारा 65बी आई.टी. एक्ट" उल्लिखित है। संक्षेप में इसमें उल्लिखित है कि अपराध संख्या 1455/21 धारा 7/13 भ्रष्टाचार अधिनियम, थाना कोतवाली नगर, जिला बुलंदशहर से संबंधित कुल 5 वीडियो, जो वादी द्वारा अपने फोन से बनायी गयी थी, सभी 5 वीडियो को फोन से कॉपी करके उसके द्वारा पैनड्राईव में सुरक्षित किया गया है। उसके द्वारा कोई छेड़छाड़ नहीं की गयी है। इस प्रमाण पत्र के संबंध में वादी मुकदमा पी०डब्लू० 1 के रूप में परीक्षित होते हुए मुख्य परीक्षा में प्रमाण पत्र को 8अ पर अपने हस्ताक्षर को तस्दीक किया है, जिस पर प्रदर्श क-2 डाला गया है, परन्तु जिरह में इस साक्षी ने यह

कथन किया है कि "यह कहना गलत है कि उसने पैनड्राईव/सी.डी. तैयार करने के संबंध में कोई प्रमाण पत्र पुलिस को दिया हो।" इस साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि प्रमाण पत्र के संबंध में वादी मुकदमा ने विरोधाभासी कथन किया है, जिससे प्रमाण पत्र धारा 65B आई.टी. एक्ट संदिग्ध हो जाता है। यहां पर यह भी उल्लेख किया जाना न्यायोचित है कि **अभियोजन द्वारा जिस मोबाईल फोन से पैनड्राईव में वीडियो/ऑडियो संलग्न किया गया है, उसको भी मूल रूप से न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है।** इसके अतिरिक्त मोबाईल से वीडियो तैयार किये जाने का अभियोजन द्वारा अभिकथन किया गया है, परन्तु **मोबाईल से पैनड्राईव में ऑडियो और वीडियो कैसे और कहां किस कम्प्यूटर से तैयार किया गया है, इसका भी कोई विस्तृत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। पैनड्राईव में उपस्थित ऑडियो/वीडियो के संबंध में कोई एफ.एस.एल. रिपोर्ट भी अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है।** वादी मुकदमा ने किसी पुलिस अधिकारी को लिखित अथवा मौखिक बयान दिये जाने के तथ्य से भी अपने साक्ष्य में इंकार किया है। **इस मामले में जो विभागीय जांच समिति गठित की गयी थी, उसने भी पैनड्राईव के संबंध में कोई प्रमाण पत्र वादी मुकदमा से प्राप्त नहीं किया है।** अतः मात्र अभियुक्त द्वारा पैनड्राइव की औपचारिक सत्यता स्वीकार करने एवं तथ्य से इंकार करने के आधार पर अभियुक्तों के विरूद्ध अपराध साबित होना नहीं माना जा सकता है। उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत इस मामले में पैनड्राईव में उपलब्ध ऑडियो/वीडियो को साक्ष्य के रूप में ग्राह्य किया जाना न्यायोचित नहीं है। जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित निर्णयज विधि व्यवस्थायें प्रतिपादित किये गये हैं-

60. **अर्जुन पण्डित खोटकर बनाम कैलाश खुशन राव गोरंटियाल 2020 एससी ऑनलाइन एससी 571** आदेश दिनांकित 14.07.2020 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में निर्धारित किया गया है कि–

1– धारा 65 बी (4) का प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड/साक्ष्य की ग्राहता की पूर्व शर्त है।

2– जहां मूल डिवाइस साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है वहां धारा 65 बी (4) का प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है।

61. उपरोक्त मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **अनवर पी0वी0 बनाम पी0के0 बशीर व अन्य 2014 10 एस0सी0सी0 473** में दिए गए निर्णय के पैरा 15 व 16 का भी उल्लेख किया है जिसके अनुसार– **पैरा–15** अधिनियम की धारा 65बी(4) के तहत, यदि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से संबंधित किसी भी कार्यवाही में बयान देने की इच्छा है तो इसकी अनुमति है, बशर्ते कि निम्नलिखित शर्ते पूरी होना चाहिए–

1– एक प्रमाण पत्र होना चाहिए जो बयान करने वाले इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की पहचान करता है,

2– प्रमाण पत्र को उस तरीके का वर्णन करना चाहिए जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का उत्पादन किया गया था,

3– प्रमाण पत्र को उसके उत्पादन में शामिल डिवाइस के विवरण प्रस्तुत करना होगा,

4– प्रमाण पत्र को साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी दो के तहत उल्लिखित लागू शर्तो से निपटना चाहिए,

5– प्रासंगिक डिवाइस के संचालन के संबंध में एक जिम्मेदार अधिकारी के पद पर कब्जा करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

62. **पैरा–16** माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वर्णित किया है कि ''आगे स्पष्ट किया जाता है कि व्यक्ति को केवल प्रमाण पत्र में यह बताने की आवश्यकता है कि यह उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार है सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरह के एक प्रमाण पत्र को कंप्यूटर प्रिंटआउट, कंपैक्ट डिस्क (सीडी), वीडियो कंपैक्ट डिस्क (वीसीडी), पेनड्राइव इत्यादि जैसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के साथ होना चाहिए जिसके संबंध में साक्ष्य में एक बयान देने की मांग की जाती है, जब वही साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है। इन सभी सुरक्षा उपायों को स्रोत और प्रमाणिकता सुनिश्चित करने के लिए लिया जाता है, जो सबूत के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से संबंधित दो हालमार्क हैं। ऐसे सुरक्षा उपायों के बिना इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में छेड़छाड़, परिवर्तन, ट्रांस्पोजिशन एक्सिसन आदि के लिए अतिसंवेदनशील होने के कारण, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग के आधार पर सम्पूर्ण परीक्षण न्याय का उपहास कर सकता है।

63. **कमरुल इस्लाम बनाम एस0के0 कांटा ए0आई0आर0 1994 एस0सी0 1733** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि ''जहां एक चुनाव में यह साबित करना आवश्यक था कि विजयी प्रत्याशी ने अपने भाषण में क्या कहा था, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस बात को साबित करने के लिए एक समाचार पत्र में जो उसका भाषण छपा था उसको और न तो सुसंगत और न ही पर्याप्त माना। माननीय न्यायालय ने कहा कि या तो संवाददाता न्यायालय के सामने आता या फिर उसकी मौलिक रिपोर्ट पेश की जाती है। उसके भाषण की ट्रेप भी सबूत नहीं मानी गई, क्योंकि याची कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहा था कि जिस पुलिस अधिकारी ने वह टेप पेश की थी उसने टेप क्यों और कैसे तैयार की थी और कैसे–कैसेट को संभाल कर रखा था और कैसे याची को टेप के अस्तित्व का पता लगा था। उपरोक्त तथ्यों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उपरोक्त व्यवस्थाओं के आधार पर प्रस्तुत मामले में भी वीडियो सीडी की सुसंगता संदिग्ध हो जाती है।

64. इस मामले में दिये गये तथ्यों, परिस्थितियों तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त दी गयी विधि व्यवस्था के दृष्टिगत यह साबित होता है कि अभियोजन पैनड्राईव में उपलब्ध ऑडियो/वीडियो की सत्यता को साबित करने में असफल रहा है। इस तरह उपरोक्त समस्त साक्षियों की साक्ष्य के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि इस मामले में धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के आवश्यक तत्व अभियुक्तों द्वारा रिश्वत के रूप में मांगे गये रूपये के प्रस्ताव और स्वीकृति के तथ्य को अभियोजन साबित करने में असफल रहा है।

65. उपरोक्त साक्षियों के अभिकथनों के आलोक में यहां पर यह उल्लिखित

किया जाना न्यायोचित है कि अवैध पारितोषण की प्राप्ति को साबित करने के लिए अभियोजन को परितोषण प्राप्त करने के संबंध में प्रस्ताव व प्रतिग्रहण को साबित किया जाना आवश्यक होता है। इस मामले में अभियुक्त द्वारा अवैध धन प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव व स्वीकृति का अभाव है इस संबंध में अभियुक्त की ओर से **सूर्यभान बनाम महाराष्ट राज्य 1995 सी. आर.आई.एल.जे. 107 (बॉम्बे हाईकोर्ट एट नागपुर)** को प्रस्तुत किया है जिसका सम्मानपूर्वक अवलोकन किया गया। संक्षेप में इसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि मांग और प्रतिग्रहण को अवैध परितोषण के मामले में अभियोजन द्वारा साबित किया जाना चाहिए। उसके अभाव में न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 20 को भी अभियोजन के पक्ष में उपधारणा नहीं कर सकती है।

66. **स्टेट आफ केरल बनाम सी0पी0 राव 2012 क्रि0ला0ज0 2007 (एस0सी0)** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायलय ने निर्धारित किया है कि जहां रिश्वत की मांग एवं प्रतिग्रहण के बारे में साक्ष्य की कोई पुष्टि नहीं होती है और अभियोजन अपने मामले को स्थापित कर पाने में असफल हो गया वहां उच्च न्यायालय के प्रत्यर्थी के विरूद्ध लगाये गये आरोपो से अभियुक्त को दोषमुक्त करने में न्यायसंगत माना गया। इसी तरह **एन०सुकन्या बनाम स्टेट ऑफ ए0पी0 2015 (4) क्राइम्स 308 (एस0सी0)** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया है कि- अवैध परितोषण के लिए किसी मांग के सबूत के अभाव में भ्रष्टाचार निवारण या अवैध साधनों का प्रयोग या किसी मूल्यवान वस्तु या धनीय प्राप्त करने के लिए एक लोक सेवक की हैसियत से पद का दुरूपयोग किया जाना स्थापित नहीं किया जा सकता था। यह अवैध परितोषण के प्रतिग्रहण के मात्र सबूत पर होता है कि अधिनियम की धारा 20 के अधीन यह उपधारणा की जा सकती है कि ऐसे परितोषण को किसी शासकीय कार्य को करने के लिए या उससे प्रवाहित रहने के लिए प्राप्त किया गया था। अतएव, जब तक अवैध परितोषण की सबूत-मांग का सबूत नहीं होता, जब तक प्रतिग्रहण का कोई सबूत नहीं होगा। इसलिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 एवं धारा 13(1)डी सपठित धारा 13(2) के अधीन अपीलार्थी की दोषसिद्धि एवं अधिरोपित किये गये दण्डादेशों को अपास्त कर दिया गया और आरोपों से मुक्त कर दिया गया।

67. **बी0 जयराज बनाम आंध्र प्रदेश राज्य आपराधिक अपील सं0-2014 का 696 (सर्वोच्च न्यायालय)** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया है कि मांग के सबूत के बिना अभियुक्तों से करेंसी नोटों को अपने कब्जे में लेने और बरामद करने से धारा-7 के तहत अपराध नहीं होगा, जहां तक धारा 13(1)डी भ्र०नि०अधि० के तहत अपराध का सम्बन्ध है, अवैध संतुष्टि के लिए मांग के किसी सबूत के अभाव में, भ्रष्ट या अवैध साधनों के उपयोग या किसी मूल्यवान वस्तुत या आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए लोक सेवक के रूप में पद का दुरूपयोग को स्थापित नहीं ठहराया जा सकता।

68. **पी0 सत्यनारायण मूर्ति बनाम जिला पुलिस निरीक्षण और ए0एन0आर0 (आपराधिक अपील सं0 2009 का 31**) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः अभिनिर्धारित किया है कि- अधिनियम की धारा 7 और 13 की अनिवार्य पूर्व अपेक्षाओं को समझने के लिए वी0 जयराज बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2014) 13 एस.सी.सी. 55 में स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है कि मुद्रा नोटों को रखना और बरामद करना एक मांग के सबूत के बिना आरोपी धारा 7 व धारा 13(1)डी भ्र०नि०अधि० के तहत अपराध स्थापित नहीं करेगा। यह भी प्रतिपादित किया गया है कि अवैध परितोषण की मांग के किसी सबूत के अभाव में, किसी मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ को प्राप्त करने के लिए लोक सेवक के रूप में भ्रष्ट या अवैध साधनों का उपयोग या स्थिति का दुरूपयोग साबित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार मांग के प्रमाण को एक अनिवार्य अनिवार्यता और अधिनियम की धारा 7 और 13 के तहत एक अपराध के लिए अनिवार्य माना गया। अधिनियम की धारा 20 जो उसमें परिकल्पित अनुमान की अनुमति देती है, यह माना गया कि जबकि यह केवल धारा 7 के तहत एक अपराध के लिए स्वीकार योग्य है और धारा 13(1)डी भ्र०नि०अधि० के तहत नहीं। इस बात पर बल दिया गया कि अवैध परितोषण की स्वीकृति का ऐसा प्रमाण केवल तभी दिया जा सकता है, जब मांग का प्रमाण हो। यह भी माना गया किया कि मांग के प्रमाण के अभाव में अधिनियम की धारा 20 के तहत ऐसी कानूनी धारणा उत्पन्न नहीं होगी।

69. इसी प्रकार **नीरज दत्ता बनाम राज्य (सी.एन.सी.टी.डी.टी)** आपराधिक अपील सं0 1669/2009 (2022 लाइव ला एस.सी.) 1029 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह विधि स्थापित किया कि-

1- यदि रिश्वत देने वाला बिना किसी पूर्व मांग के लोक सेवक को भुगतान करने की पेशकस करता और लोक सेवक रिश्वत स्वीकार करता तो यह धारा 7 के तहत स्वीकृत के मामले के रूप में होगा।

2- यदि लोक सेवक स्वयं मांग करता और उसे रिश्वत देने वाले द्वारा स्वीकार कर लिया जाता और रिश्वत की भुगतान कर दिया जाता है, जो लोक सेवक द्वारा प्राप्त किया जाता है तो यह धारा 13(1)डी की धारा 13(1)डी के तहत प्राप्ति का मामला होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में यह भी निर्धारित किया है कि अभियोजन पक्ष को धारा 7 व धारा 13(1)डी भ्र०नि०अधि० के प्रावधानों के तहत अपराध स्थापित करने के लिए रिश्वत देने वाले द्वारा की गई पेशकश और लोक सेवक द्वारा मांग को एक तथ्य के रूप में साबित करना चाहिए। केवल जब मूलभूत तथ्य साबित हो जाते है तो न्यायालय द्वारा अवैध परितोषण की स्वीकृति या प्राप्ति के संबंध में तथ्य की उपधारणा की जा सकती है।

70. उपरोक्त साक्षियो के कथनो में किसी भी साक्षी ने यह कथन नही किया है कि अभियुक्ता ने किसी तरह के रिश्वत के रूप में रूपये की मांग की हो व अभियुक्त ने किसी रिश्वत को रूपये के रूप में ग्रहण किया हो। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में

धारा 7 के अपराध को साबित होने के लिए यह आवश्यक है कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी लोक सेवक को रिश्वत के रुप में कोई प्रतिफल प्रदान किया गया हो। जिसे अभियुक्ता ने स्वीकार किया हो। इस मामले में ऐसा कोई तथ्य अभियोजन साबित नही कर पाया है, जो घटना को संदिग्ध बनाता है।

71. अभियुक्त के द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध आय से अधिक सम्पत्ति प्राप्त करने के संबंध में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया है। अतः धारा 13(1)(ख) सपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का अपराध भी साबित नहीं होता है।

72. अभियोजन द्वारा तर्क दिया गया कि अभियुक्तों ने वादी से वैद्य पारिश्रमिक के अतिरिक्त रूपये प्राप्त किये हैं। इसलिये अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 13(1)(ख) सपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का आरोप साबित होता है।

73. इस मामले में धारा 13 (1)(ख) सपठित धारा 13(2) भ्र०नि०अधि० का आरोप भी विरचित किया गया है, जो इस प्रकार है कि "आपने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर लोक सेवक के पद पर नियुक्त रहते हुए शिकायतकर्ता से उसके वैध कार्य के लिए अवैध रूप से अंकन 34,000/- रूपये उत्कोच के रूप में प्राप्त करके अपने को साशय समृद्ध करते हुए अपने पद का दुरूपयोग किया। इस प्रकार आपने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(1) (ख) का आपराधिक अवचार का अपराध किया है, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(2) के अधीन दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।"

74. यहां पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 का उल्लेख किया जाना न्यायोचित है।

75. **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 के अनुसार-**

लोक सेवक द्वारा आपराधिक अवचार- (1) कोई लोक सेवक आपराधिक अवचार का अपराध करने वाला कहा जायेगा-

(क) यदि वह लोक सेवक के रूप में अपने को सौंपी गई किसी सम्पत्ति या अपने नियंत्रणाधीन किसी सम्पत्ति का अपने उपयोग के लिये बेईमानी से या कपटपूर्ण दुर्विनियोग करता है या उसे अन्यथा संपरिवर्तित कर लेता है या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने देता है, या

(ख) यदि वह अपनी पदावधि के दौरान अवैध रूप से अपने को साशय समृद्ध करता है।

स्पष्टीकरण 1. किसी व्यक्ति के बारे में यह उपधारणा की जायेगी कि उसने अवैध रूप से अपने को साशय समृद्ध बनाया है, यदि वह या उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति अपनी पदावधि के दौरान किसी समय अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अनानुपातिक धनीय संसाधन या सम्पत्ति उसके कब्जे में है या रही है, जिसके लिये लोक सेवक समाधानप्रद रूप से हिसाब नहीं दे सकता है।

स्पष्टीकरण 2. पद "आय के ज्ञात स्रोत" से किसी विधिपूर्ण स्रोत से प्राप्त आय अभिप्रेत है।

(2) कोई लोक सेवक जो आपराधिक अवचार करेगा ऐसी अवधि के कारावास से दण्डित किया जाएगा जो चार वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दण्डित किया जायेगा।

76. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि पी०डब्लू० 1 के रूप में परीक्षित होते हुए वादी मुकदमा, जो स्वयं पीड़ित पक्षकार है, ने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा में ही कथन किया है कि "**उससे हाजिर अदालत अभियुक्तगण सुरेन्द्र, निर्देशपाल एवं भूपेन्द्र द्वारा कभी भी उसकी पेंशन संबंधित भुगतान के लिए किसी रिश्वत के पैसे की मांग नहीं की गई थी, न ही उसने सुरेन्द्र शर्मा को 15,000/- रूपये, भूपेन्द्र को 5,000/- रूपये व निर्देशपाल को 14,000/- रू रिश्वत में दिये थे। उसने कोई वीडियो फुटेज भी किसी पुलिस अधिकारी को नहीं दी थी। उसने अभियुक्तगण के विरुद्ध कभी कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया था।**" अभियोजन द्वारा इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया है तथा इससे जिरह की गयी। जिरह किये जाने में भी कोई ऐसा तथ्य प्रकाश में नहीं आया है, जिससे अभियुक्तों के विरूद्ध रिश्वत के संबंध में विरचित आरोप साबित होता हो। प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण के पास से किसी भी प्रकार के रिश्वत के रूपये की बरामदगी नहीं की गयी है। चूंकि अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा से किसी भी प्रकार के रिश्वत के रूप में रूपये का मांगना व स्वीकार करना साबित नहीं किया गया है। इसलिये 13(1)(ख) सपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का आरोप भी अभियुक्तगण के विरूद्ध साबित होना नहीं माना जा सकता है।

77. प्रस्तुत मामले में अभियोजन अभियुक्तगण द्वारा अवैध पारितोषण की मांग और स्वीकृति को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। ऐसी परिस्थिति में इस मामले में अभियुक्तों द्वारा कोई आपराधिक अवचार करते हुए अपने आप को अवैध तरीके से अपनी आय में समृद्ध किया जाना नहीं माना जा सकता है। इस तरह अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध विरचित आरोप अन्तर्गत धारा 13(1)(ख) सपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

78. इस मामले में अभियुक्तों की तरफ से घटनास्थल का मानचित्र कागज संख्या 9अ/1 ता 9अ/3 क्रमशः प्रदर्श क-9, प्रदर्श क-10, प्रदर्श क-11 तथा विवेचक द्वारा प्रेषित आरोप पत्र प्रदर्श क-12 की औपचारिक सत्यता को स्वीकार करते हुए तथ्य से इंकार किया है। इस संबंध में यह उल्लिखित किया जाना न्यायोचित है कि उपरोक्त प्रपत्रों में उल्लिखित तथ्यों को साबित करने का भार अभियोजन का होता है। केस डायरी में नक्शा-नजरी वादी की निशानदेही पर बनाया जाना उल्लिखित है। जबकि वादी मुकदमा पी०डब्लू० 1 के रूप में परीक्षित होते हुए अपनी मुख्य परीक्षा में ही स्पष्ट रूप

से कथन किया है कि "**उससे हाजिर अदालत अभियुक्तगण सुरेन्द्र, निर्देशपाल एवं भूपेन्द्र द्वारा कभी भी उसकी पेंशन संबंधित भुगतान के लिए किसी रिश्वत के पैसे की मांग नहीं की गई थी, न ही उसने सुरेन्द्र शर्मा को 15,000/- रूपये, भूपेन्द्र को 5,000/- रूपये व निर्देशपाल को 14,000/- रू रिश्वत में दिये थे। उसने कोई वीडियो फुटेज भी किसी पुलिस अधिकारी को नहीं दी थी। उसने अभियुक्तगण के विरुद्ध कभी कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया था।"** वादी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है, परन्तु उसके द्वारा जिरह किये जाने पर भी ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नहीं लाया गया है, जिससे अभियुक्तों के विरूद्ध विरचित आरोप साबित हो। जिरह में इस साक्षी ने पुनः अभियुक्तगण द्वारा रिश्वत के रूप में रूपये मांगने व स्वीकार करने के तथ्य से इंकार किया है तथा धारा 161 द०प्र०सं० के बयान से भी इंकार किया है। अभियुक्त द्वारा जिरह करने पर यह कथन किया है कि "यह कहना सही है कि मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमें से संबंधित जो भी लिखा-पढ़ी हुई है, वह मेरे सामने नहीं हुई है।" इसका तात्पर्य है कि विवेचक द्वारा जो नक्शा-नजरी बनायी गयी है, उसके संबंध में भी इस साक्षी ने नकारात्मक कथन किया है। इस तरह अभियोजन नक्शा-नजरी प्रदर्श क-9, प्रदर्श क-10 तथा प्रदर्श क-11 के तथ्य को साबित करने में असफल रहा है। जहां तक आरोप पत्र प्रदर्श क-12 की अभियुक्त द्वारा औपचारिक सत्यता स्वीकार करने एवं तथ्य से इंकार करने का प्रश्न है, तो इस संबंध में उल्लिखित किया जाना न्यायोचित है कि किसी मामले में संकलित सम्पूर्ण साक्ष्य के आधार पर विवेचक द्वारा आरोप पत्र प्रेषित किया जाता है। विवेचक मात्र औपचारिक साक्षी होता है। इस मामले में जिस वादी के तहरीर व धारा 161 द०प्र०सं० के बयान पर आरोप पत्र प्रेषित किया गया है, उसके समस्त कथनों के विपरीत कथन वादी ने किया है। पत्रावली में अन्य कोई ऐसा साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं है, जिसके आधार पर यह माना जा सके कि विवेचक द्वारा प्रेषित आरोप पत्र संदेह से परे साबित है। अतः प्रदर्श क-12 को भी अभियोजन संदेह से परे साबित करने में असफल हुआ माना जायेगा।

79. अभियुक्त की तरफ से यह तर्क दिया गया कि प्रस्तुत मामले में उनके विरूद्ध प्रस्तुत किया गया अभियोजन अनुमति प्रपत्र कागज संख्या 19अ/3 व 20अ क्रमशः प्रदर्श क-7 और प्रदर्श क-7A भी नियमतः स्वीकृत नहीं किया गया है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत अभियोजन अनुमति धारा 19 के अन्तर्गत प्रेषित की जाती है। जबकि इस मामले में धारा 197 द०प्र०सं० के अन्तर्गत प्रेषित की गयी है। इससे यह साबित है कि अभियोजन अनुमति प्रदान करने वाले प्राधिकारी ने अपने विवेक का इस्तेमाल विधि के अनुरूप नहीं किया है। अभियोजन की ओर से तर्क दिया गया है कि इस मामले में अभियुक्त द्वारा अभियोजन अनुमति के प्रपत्रों की औपचारिक सत्यता को स्वीकार करते हुए तथ्य से इंकार किया है। इसलिये अभियोजन अनुमति वैध मानी जायेगी। इस संबंध में अभियुक्त की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था **सी0बी0आई0 बनाम अशोक कुमार अग्रवाल {2014(1)जे.आई.सी. 941(एस.सी.)},** तथा

प्रकाश चन्द मिश्रा बनाम झारखण्ड राज्य माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड, निर्णीत 09 जनवरी 2020 प्रस्तुत की गयी है जिसका सम्मानपूर्वक अवलोकन किया गया। संक्षेप में उपरोक्त मामले में यह निर्णीत किया गया है कि अभियोजन अनुमति मामले के तथ्यों को गहनता से अध्ययन करने के बाद तथा स्वस्थ मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए प्रदान की जानी चाहिए।

80. मेरे द्वारा उपरोक्त तर्कों के संबंध में पत्रावली में संलग्न कागज संख्या 19अ/3 एवं 20अ का अवलोकन किया गया, जिन पर क्रमशः प्रदर्श क-7 व प्रदर्श क-7A डाला गया है। प्रदर्श क-7 को अभियोजन साक्षी संख्या 7 सी.एम.ओ. डॉ० विनय कुमार सिंह ने साबित किया है। प्रदर्श क-7 के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस प्रपत्र को मुख्य चिकित्साधिकारी, बुलंदशहर द्वारा सहायक पुलिस अधीक्षक, बुलंदशहर को संबोधित किया गया प्रपत्र है, जिसके विषय में उल्लिखित है कि "श्री निर्देशपाल सिंह, श्री सुरेन्द्र शर्मा, श्री भूपेन्द्र सिंह के विरूद्ध अभियोजन चलाये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।" इस प्रपत्र में संक्षेप में उल्लिखित है कि अभियुक्त के विरूद्ध अपराध कारित किये जाने के पर्याप्त साक्ष्य पाये गये हैं तथा धारा 197 द०प्र०सं० के तहत अभियुक्तों के नियुक्ताधिकारी से अभियोजन चलाये जाने हेतु अभियोजन अनुमति मांगी गयी है। इस संबंध में अवगत कराना है कि श्री निर्देशपाल के नियुक्ति प्राधिकारी निदेशक (प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ है। अतः इसके विरूद्ध अभियोजन अनुमति प्रदान करने हेतु कार्यालय से पत्र प्रेषित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त सुरेन्द्र शर्मा एवं भूपेन्द्र के विरूद्ध माननीय न्यायालय में अभियोजन चलाये जाने हेतु धारा 197 द०प्र०सं० के तहत अभियोजन अनुमति प्रदान की जाती है। प्रपत्र के अंत में मुख्य चिकित्साधिकारी, बुलंदशहर के अपठित हस्ताक्षर है। इस प्रपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस मामले में विवेचक द्वारा पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर अनुमति मांगी गयी है, परन्तु अभियोजन अनुमति देते समय मुख्य चिकित्साधिकारी ने कौन-कौन-से प्रपत्रों का अवलोकन किया, इसका कोई उल्लेख प्रदर्श क-7 में नहीं किया है। यहां तक कि अभियोजन अनुमति के प्रपत्र में तहरीर में उल्लिखित पैनड्राईव का भी उल्लेख नहीं है। धारा 197 द०प्र०सं० में अभियोजन अनुमति दी गयी है, जबकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत धारा 19 के तहत अभियोजन अनुमति प्रदान करने का प्रावधान है। पी०डब्लू० 7 के रूप में अभियोजन अनुमति प्रदान करने वाले सी.एम.ओ. डॉ० विनय कुमार सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में प्रदर्श क-7 को तस्दीक किया है, परन्तु प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि "उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम विशेष अधिनियम की अनुमति धारा 20 के अन्तर्गत आती है।" अग्रेतर प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि ""यह बात सही है कि उसके द्वारा प्रदान की गयी अभियोजन अनुमति में उसके द्वारा किन-किन प्रपत्रों का अवलोकन किया गया, इसका जिक्र नहीं है।" इस तरह इस साक्षी ने स्वयं स्वीकार किया है कि अभियोजन अनुमति देते समय किन-किन प्रपत्रों का अवलोकन किया गया, इसका उल्लेख अनुमति प्रपत्र में नहीं है। इस तथ्य से ऐसा

प्रतीत होता है कि अभियोजन अनुमति देते समय विधि में दिये गये प्रावधानों का ध्यान नहीं रखा गया।

81. अभियुक्त निर्देशपाल के विरूद्ध अभियोजन अनुमति पत्रावली में कागज संख्या 20अ प्रदर्श क-7A के रूप में संलग्न है। प्रदर्श क-7A की औपचारिक सत्यता को अभियुक्त द्वारा स्वीकार किया गया है, परन्तु तथ्य से इंकार किया गया है। इस प्रपत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि इसमें उल्लिखित है कि "मेरे समक्ष प्रस्तुत की गयी सामग्री और मामलों की परिस्थितियों को पूर्ण रूप से और सावधानीपूर्वक परीक्षण करने के पश्चात् मैं यह समझता हूं कि उक्त श्री निर्देशपाल सिंह प्रधान सहायक को उक्त अपराध के लिये न्यायालय में अभियोजित किये जाये। अतः एतदद्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 7/13 अन्तर्गत धारा 197 द०प्र०सं० के अधीन उक्त अपराध/अपराधों के लिये उपर्युक्त कार्यों के संबंध में विधि के अन्य उपबन्धों के अधीन दण्डनीय किन्हीं अन्य अपराधों के लिये उक्त श्री निर्देशपाल सिंह, प्रधान सहायक को अभियोजित करने और उक्त अपराधों का किसी अधिकारिता प्राप्त सक्षम न्यायालय द्वारा संज्ञान करने के लिये स्वीकृति प्रदान करता हूं।" इस तरह अभियोजन अनुमति में उल्लिखित तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अभियोजन अनुमति प्रदान करने वाले प्राधिकारी के समक्ष कौन-कौन-सी सामग्री प्रस्तुत की गयी थी, इसका उल्लेख प्रदर्श क-7A में नहीं किया गया है। धारा 197 द०प्र०सं० एवं अन्य विधिक उपबन्धों के अधीन अनुमति प्रदान की गयी है, परन्तु धारा 19 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का उल्लेख नहीं है। इसलिये इस मामले में ऐसा प्रतीत होता है कि विधितः अभियोजन अनुमति प्रदान नहीं की गयी है।

82. इस तरह प्रस्तुत मामले में उपरोक्त समस्त साक्ष्यों, तथ्यों, परिस्थितियों तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये विधि व्यवस्थाओं के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि इस मामले में वादी मुकदमा, जो पी०डब्लू० 1 के रूप में परीक्षित हुआ है, उसने तहरीर प्रदर्श क-1 में उल्लिखित तथ्यों के विपरीत व विरोधाभासी साक्ष्य प्रस्तुत किया है। यहां तक कि इस साक्षी ने धारा 161 द०प्र०सं० के बयान से भी इंकार कर दिया है। स्वयं के द्वारा विवेचक को घटना से संबंधित पैनड्राईव दिये जाने से भी इंकार किया है। अपनी मुख्य परीक्षा में ही स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि "**उससे हाजिर अदालत अभियुक्तगण सुरेन्द्र, निर्देशपाल एवं भूपेन्द्र द्वारा कभी भी उसकी पेंशन संबंधित भुगतान के लिए किसी रिश्वत के पैसे की मांग नहीं की गई थी, न ही उसने सुरेन्द्र शर्मा को 15,000/- रूपये, भूपेन्द्र को 5,000/- रूपये व निर्देशपाल को 14,000/- रू रिश्वत में दिये थे। उसने कोई वीडियो फुटेज भी किसी पुलिस अधिकारी को नहीं दी थी। उसने अभियुक्तगण के विरुद्ध कभी कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया था।**" अभियोजन द्वारा इस मामले में पैनड्राईव में उपलब्ध ऑडियो/वीडियो की कोई एफ.एस.एल. रिपोर्ट भी प्रस्तुत नहीं की है। वादी ने धारा 65B भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र को विवेचक को दिये जाने से इंकार कर दिया है। पी०डब्लू० 2 के रूप में परीक्षित होते हुए चिक

एफ.आई.आर. लेखक ने यह स्वीकार किया है कि उसके सामने वादी मुकदमा तहरीर लेकर उपस्थित नहीं हुआ था। यह साक्षी तहरीर पर वादी के हस्ताक्षर को स्वीकार किया है, परन्तु यह भी स्वीकार किया है कि उक्त हस्ताक्षर उसके सामने नहीं किये गये थे। तहरीर पर जो निशानी अंगूठा लगा है, उसके संबंध में कथन किया कि यह निशानी अंगूठा किसका है, उसे नहीं पता। इस साक्षी ने यह भी कथन किया कि उसे ध्यान नहीं है कि तहरीर के साथ वादी ने घटना का कोई साक्ष्य दिया था या नहीं। विभागीय जांच आख्या के साक्षी पी०डब्लू० 3, पी०डब्लू० 4 व पी०डब्लू० 5 हैं, जिन्होंने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि उसके सामने वादी मुकदमा उपस्थित नहीं हुआ था। उन्होंने इस संबंध में वादी मुकदमा से कोई जानकारी प्राप्त नहीं की थी कि प्रस्तुत की गयी पैनड्राईव कब, कहां, किसके द्वारा तैयार की गयी थी। इस मामले में एकमात्र स्वतन्त्र साक्षी पी०डब्लू० 6 भी अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। पी०डब्लू० 7 अभियोजन अनुमति प्रदान करने वाला साक्षी है, जो अभियोजन अनुमति पत्रावली में संलग्न है, वह धारा 197 द०प्र०सं० के अन्तर्गत दी गयी है। उपरोक्त समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखने से यह साबित होता है कि अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध विरचित आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

83. तदनुसार अभियुक्तगण निर्देशपाल, भूपेन्द्र सिंह एवं सुरेन्द्र को उनके विरुद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 7, 13(1)(ख) सपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अपराध से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

84. यह भी उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत मामले में वादी मुकदमा सतेन्द्र सिंह पी०डब्लू० 1 द्वारा अपने द्वारा प्रस्तुत की गयी तहरीर प्रदर्श क-1 के तथ्यों का न्यायालय के समक्ष किये गये अपने कथनों में समर्थन नहीं किया गया है और अभियोजन द्वारा उक्त साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया है। ऐसी स्थिति में साक्षी सतेन्द्र सिंह पी०डब्लू० 1 के विरूद्ध न्यायालय के समक्ष मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत करने की बाबत धारा 344 द०प्र०सं० के तहत प्रकीर्ण वाद पंजीकृत किये जाने योग्य है।

आदेश

85. अभियुक्तगण निर्देशपाल पुत्र जयपाल सिंह, भूपेन्द्र सिंह पुत्र स्वः वासुदेव सिंह एवं सुरेन्द्र शर्मा पुत्र भजनलाल शर्मा को उन पर मु०अ०सं० 1455/2021, थाना कोतवाली शहर, जिला बुलन्दशहर के मामले में लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 7, 13(1)(ख) सपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

86. अभियुक्तगण प्रस्तुत मामले में दौरान विचारण जमानत पर है। उनके द्वारा दाखिल बन्धपत्र एवं जमानतनामें निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनकी जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

87. अभियुक्तगण प्रत्येक की ओर से धारा 437A द०प्र०सं० के अनुपालन में

अंकन 25,000-25,000/-(पच्चीस-पच्चीस हजार रूपये) के व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि के प्रतिभूपत्र दाखिल किये जा चुके हैं। अभियुक्तगण प्रत्येक को निर्देशित किया जाता है कि अपील होने की स्थिति में वह अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे तथा उक्त बन्धपत्र छः माह की अवधि तक वैध रहेंगे।

88. वादी मुकदमा साक्षी सतेन्द्र सिंह पी०डब्लू० 1 के विरूद्ध धारा 344 द०प्र०सं० के अन्तर्गत पृथक से प्रकीर्ण वाद दर्ज करने के उपरान्त साक्षी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाये। निर्णय की एक प्रति व साक्षी के बयान की एक छायाप्रति प्रकीर्ण वाद की पत्रावली के साथ रखी जाये।

दिनांक 03.03.2025 (रमेश)

विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम),
विशेष न्यायालय संख्या 01/अपर सत्र न्यायाधीश, मेरठ।

90. आज यह निर्णय एवं आदेश मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में उदघोषत किया गया।

दिनांक 03.03.2025 (रमेश)

विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम),
विशेष न्यायालय संख्या 01/अपर सत्र न्यायाधीश, मेरठ।

This is uncertified copy for information reference. For authentic copy please refer to certified copy.